Postal Reg. No.GDP -45/2020-2022

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

अल्लाह तआला का आदेश

وَاِذَا رَاَ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوا الۡعَذَابَ فَلَا یُخَفَّفُ عَنۡہُمۡ وَلَا ہُمۡ یُنۡظَرُوۡنَ ○

अल् नहल 86

अनुवाद : और जिन लोगों ने ज़ुल्म किया, जब वे अज़ाब देखेंगे, तो उनसे वह न तो हल्का किया जाएगा और न ही उन्हें मोहलत दी जाएगी।

वर्ष- 9
अंक - 49
मूल्य 600 रुपए वार्षिक

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

Weekly
BADAR Qadian
HINDI

संपादक
शेख़ मुजाहिद अहमद

उप संपादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद

02 जमादिउल् सानी, 1446 हिज्री कमरी, 05 फ़तह 1403 हिज्री शम्सी, 05 दिसम्बर 2024 ई.

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़ज़ल नाज़िल करता रहे। आमीन

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की वाणी

हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है। उसका हर मामला भलाई है और यह सिर्फ़ मोमिन के लिए है। अगर उसे कोई खुशी पहुँचती है, तो वह शुक्र करता है और यह उसके लिए भलाई है। और अगर उसे तकलीफ़ पहुँचती है, तो वह सब्र करता है, यह भी उसके लिए भलाई है।

(मुस्लिम, किताब-अज़-ज़ुहूद व रिकाक, बाब मोमिन का हर मामला भलाई है)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "उसी की क़सम है, जिसके हाथ में मेरी जान है, कि तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके बाप और उसके बेटे से ज़्यादा उसे प्यारा न हो जाऊं।" (बुखारी, किताब-उल-ईमान, बाब ईमान का हिस्सा यह है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जब तुम जन्नत के बागों में से गुज़रो तो खूब चर लो।" सहाबा ने अर्ज़ किया "हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम! 'जन्नत के बाग' से क्या मुराद है?" आपने फ़रमाया "इल्म की महफ़िलें।" (अल् तरग़ीब व अतर्हीब, किताब-अल-इल्म, बाब उलमा की महफिल में शिरकत की तरग़ीब)

★ ★ ★

यह हरगिज़ नहीं होता कि ख़ुदा के लगाए हुए पौधे उन दुष्टों की फूकों से नष्ट कर दिए जाएँ।
यही एक निशानी और पहचान होती है उनके ख़ुदा की तरफ से होने की,
कि विरोधी कोशिश करते हैं कि वे नष्ट हो जाएँ, लेकिन वे बढ़ते और फूलते रहते हैं।

हज़रत अकदस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उपदेश

खुदा की यही व्यवस्था है कि हर व्यक्ति जो खुदा की ओर कदम बढ़ाता है, उसके लिए परीक्षा आवश्यक रखी गई है।

खुदा तआला फ़रमाता है :

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ یُّتۡرَکُوۡۤا اَنۡ یَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَہُمۡ لَا یُفۡتَنُوۡنَ

"क्या लोग यह समझते हैं कि वे यह कहकर छोड़ दिए जाएँगे कि हमने ईमान लाया, और उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी?" (अल-अन् क़बूत: 3)

परीक्षा खुदा की परंपरा है। यह मत सोचो कि सर्वज्ञानी खुदा को परीक्षा की क्या आवश्यकता है? यह तुम्हारी समझ की भूल है।

खुदा को परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसान को है, ताकि उसे अपने हालात की जानकारी हो और अपने ईमान की सच्चाई उजागर हो।

यदि विरोधी विचार सुनकर कोई व्यक्ति हार मान ले, तो उसे मानना पड़ता है कि उसमें ताकत नहीं है। दुनिया में जितने भी ज्ञान और कौशल हैं, परीक्षा के बिना उन्हें समझा नहीं जा सकता। खुदा की परीक्षा यही है कि इंसान समझ ले कि उसकी स्थिति कैसी है।

यही कारण है कि ईश्वर के नियुक्त लोगों के शत्रु अवश्य होते हैं, जो उन्हें कष्ट और यातनाएँ देते हैं, उनका अपमान करते हैं।

ऐसे समय में, सच्चे स्वभाव वाले लोग अपनी अंतर्दृष्टि से उनकी सच्चाई को पहचान लेते हैं।इसलिए ईश्वर

शेष पृष्ठ 06 पर

अब सारी दुनिया इस्लामी तौहीद को अपना रही है,
और मूर्तिपूजक जातियाँ भी, शिर्क करने के बावजूद, तौहीद का इंकार करने का साहस नहीं कर सकतीं।
दुनिया चाहे जितना भी विरोध करे, अंततः वही शिक्षा दुनिया में प्रबल होगी जो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने प्रस्तुत की है।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरः अल्-हज, आयत 68 की व्याख्या करते हुए फ़रमाया:

इस आयत में "اِنَّکَ لَعَلٰی ہُدًی مُّسۡتَقِیۡمٍ" (तुम सीधी राह पर हो) कहकर अल्लाह तआला ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि दुनिया चाहे जितना भी विरोध करे, अंततः वही शिक्षा दुनिया में प्रबल होगी जो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने प्रस्तुत की है, और एक दिन सभी धर्मों के झंडे इस्लामी झंडे के सामने झुक जाएंगे।

देखो, जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने तौहीद (एकेश्वरवाद) की शिक्षा प्रस्तुत की, उस समय दुनिया की क्या स्थिति थी। ईसाई तीन खुदाओं को मानते थे। ज़रतुश्ती प्रकाश और अंधकार के अलग-अलग देवताओं को स्वीकार करते थे।

पारसी अग्नि की पूजा करते थे।

मूर्तिपूजक लोग लात और मनात को अपना खुदा मानते थे।

पूरी दुनिया शिर्क (मूर्तिपूजा) में डूबी हुई थी।

परंतु आज इस्लाम द्वारा प्रस्तुत तौहीद दुनिया पर इतनी प्रबल हो चुकी है कि ईसाई भी अपने आपको एकेश्वरवादी कहते हैं।

मूर्तिपूजक भी मानते हैं कि खुदा तो एक ही है। ये मूर्तियाँ केवल माध्यम हैं, जिनके द्वारा खुदा के दरबार तक पहुँचा जाता है। हालाँकि, जब इस्लाम ने यह दावा किया था कि खुदा एक है, तो मक्का के लोगों को इस पर इतनी हैरत हुई कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया:

اَجَعَلَ الۡاٰلِہَۃَ اِلٰـہًا وَّاحِدًا ۚۖ اِنَّ ہٰذَا لَشَیۡءٌ عُجَابٌ

"अजअलल-आलिहता इलाहं वाहिदा? इन्न हाज़ा लशैउन उजब" (सूरः साद : 5)

(क्या उसने इतने सारे देवताओं को एक बना दिया? यह तो बहुत अजीब बात है जो पहले कभी सुनी नहीं गई।)

लेकिन आज सारी दुनिया इस्लामी तौहीद को अपना रही है।

मूर्तिपूजक जातियाँ भी, शिर्क करने के बावजूद, तौहीद का इंकार करने का साहस नहीं कर सकतीं।

शेष पृष्ठ पर

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

ख़ुत्बः जुमअः

सआद रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़ैसला एक न्यायपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण
"हज़रत सआद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का निर्णय अपनी प्रकृति में कठोर समझा जा सकता है,

---

लेकिन यह किसी भी रूप में न्याय और इंसाफ़ के खिलाफ़ नहीं था। यहूदियों के अपराध की गंभीरता और मुसलमानों की सुरक्षा का प्रश्न, दोनों ही यह मांग करते थे कि ऐसा ही निर्णय हो।

इसके अलावा, यह फ़ैसला यहूदी शरियत के बिल्कुल अनुरूप था और प्रारंभिक समझौते के अनुसार आवश्यक भी था। उस समझौते के तहत मुसलमान इस बात के पाबंद थे कि यहूदियों से संबंधित मामलों का निर्णय उनकी अपनी शरियत के अनुसार किया जाए।

हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह फ़ैसला हज़रत सआद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का था, न कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का। सआद रज़ियल्लाहु अन्हु पर ही इस फ़ैसले की पूरी ज़िम्मेदारी थी।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का इस फ़ैसले के साथ संबंध केवल इतना था कि एक राष्ट्रप्रमुख के रूप में आपने इस निर्णय को अपने शासन के तहत लागू किया।"

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन)

बनू कुरैज़ा के अपराधों का स्वरूप
बनू कुरैज़ा केवल एक अपराध के दोषी नहीं थे। उन्होंने:विश्वासघात और एहसान फरामोशी की। संधि भंग और गद्दारी की।

विद्रोह और हत्या की साज़िश की। उन्होंने यह सब ऐसे हालात में किया जो उनके अपराधों को और अधिक गंभीर बनाते हैं। दुनिया की कोई निष्पक्ष अदालत उनके मामले में किसी प्रकार की रियायत का कारण नहीं खोज सकती।

निर्णय का न्यायिक मूल्यांकन जहां तक इस निर्णय का सवाल है, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का अन्याय या अत्याचार नहीं था। यह निर्णय पूर्णतः न्याय और इंसाफ़ पर आधारित था।

"अगर विद्रोहियों को कड़ी सज़ा न दी जाए, तो शासन प्रणाली टूटने लगती है।"

इससे दुष्ट और अराजक तत्वों को ऐसी हिम्मत मिलती है, जो सार्वजनिक शांति और कल्याण के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे मामलों में विद्रोहियों पर दया करना वास्तव में पूरे देश और शांति प्रिय लोगों पर अत्याचार के बराबर होता है।

"एक और बात याद रखना ज़रूरी है कि जो समझौता हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और यहूदियों के बीच प्रारंभ में हुआ था, उसकी शर्तों में से एक शर्त यह थी कि अगर यहूदियों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो उसका निपटारा उनकी अपनी शरियत के अनुसार किया जाएगा।"
ग़ज़वा-ए-बनू कुरैज़ा के अंत में बनू कुरैज़ा की सज़ा पर सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के हवाले से विस्तृत और आलोचनात्मक समीक्षा।

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 01 नवंबर 2024 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ۔
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّآلِّيْنَ

बनी क़ुरैज़ा के ग़ज़वे की जानकारी का वर्णन हो रहा था, इसकी और अधिक जानकारी इस प्रकार है:

इसमें उन मुसलमानों के बारे में लिखा गया है जो इस ग़ज़वे में शहीद हुए। इस ग़ज़वे में दो मुसलमान शहीद हुए थे: हज़रत ख़ल्लाद बिन सवैयद (रज़ियल्लाहु अन्हो) और हज़रत मुनज़िर बिन मुहम्मद (रज़ियल्लाहु अन्हो)।

बनी क़ुरैज़ा के यहूदियों की संख्या, जो इस ग़ज़वे में मारे गए, इस पर मतभेद पाया जाता है। इब्न इस्हाक़ ने लिखा है कि इनकी संख्या 600 थी। एक अन्य रिवायत के

अनुसार यह संख्या 700 थी। सुहैली के अनुसार, इनकी संख्या 800 से 900 के बीच थी। इमाम तिर्मिज़ी और इमाम नसाई ने इसे 400 योद्धा बताया है। इब्न साद ने भी इसे 600 से 700 के बीच बताया है।

(सबलुल् हुदा वल् रिशाद, भाग 5, पृष्ठ 16, दारुल कुतुब अल-इल्मिय्या, 1993)
(सबलुल् हुदा वल् रिशाद, भाग 5, पृष्ठ 20, अल्-तबक़ातुल कुबरा, भाग 2, पृष्ठ 58)

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब (रज़ियल्लाहु अन्हो) ने विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी एकत्रित की है, उसके अनुसार वे लिखते हैं : "करीब 400 लोग उस दिन साद (रज़ियल्लाहु अन्हो) के फैसले के मुताबिक क़त्ल किए गए, और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने सहाबा को हुक्म देकर इन मारे गए व्यक्तियों को खुद के इंतज़ाम में दफ्न करवाया।" (सीरत-ए-ख़ातिम-उन-नबीयीन, हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एम.ए, पृष्ठ 603)

इस्लाम के विरोधी संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं और फिर इस्लाम को एक ज़ालिम मज़हब करार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तथ्यों और प्रमाणों को देखा जाए तो प्रमाणिक इतिहासों के अनुसार यह संख्या लगभग 400 बनती है। और वह भी केवल वे लोग जो युद्ध के लिए लड़ने वाले थे। यही कारण है कि उन्हें एक जगह खाई में दफ्न कर दिया गया।

उस समय के एक अहमदी स्कॉलर, सैयद बरकात साहब, ने भी इस पर गहराई से शोध की है और इस पर बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। अपनी किताब "रसूल-ए-अकरम और यहूद-ए-हिजाज़" में वे लिखते हैं कि बनी क़ुरैज़ा के मारे गए लोगों की संख्या को लेकर बहस की जाए तो उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं, जिनमें से कुछ में तर्कसंगतता का पहलू मौजूद है।

उनका कहना है कि सबसे पहला और अहम सिद्धांत यह है कि हदीस हो या इतिहास, इनकी रिवायतें ज़फ (कमज़ोर) और वज़ा (घड़ी हुई) होने के आरोपों से ख़ाली नहीं हैं। इसलिए आंखें बंद करके हर रिवायत को स्वीकार कर लेना बुद्धिमानी नहीं है।

"फिर छह सौ से नौ सौ मारे गए पुरुषों के साथ उनकी महिलाएँ और बच्चे, जिनकी संख्या सावधानीपूर्वक अनुमान के अनुसार पाँच-छह हज़ार से कम नहीं होगी, उनके बारे में यह कहना कि उन्हें मदीना में रस्सियों से बांधकर लाया गया और दो घरों में रखा गया। उनके खाने-पीने की सुविधाओं का प्रबंध करना, जबकि मुसलमान खुद भूखे-प्यासे रह रहे थे; इतनी बड़ी संख्या को शौचालय के लिए ले जाना; और भी आवश्यकताएँ होती हैं। इसके बावजूद, किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की, न ही कोई शोर मचाया।

फिर रातोंरात मदीना के एक बाजार में उन छह सौ लोगों के कत्ल के लिए गड्ढे खुदवाना, जबकि नई खुदी हुई खाई भी मौजूद थी। इसके बाद दो या तीन व्यक्तियों, यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हो और हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हो ने ही उन सभी को कत्ल किया। इन दोनों साथियों ने इस घटना का कभी ज़िक्र नहीं किया। साथ ही, बुखारी और मुस्लिम में मारे गए लोगों की संख्या का उल्लेख भी नहीं है। ऐसी कुछ बातें यह मार्गदर्शन करती हैं कि इन रिवायतों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और यह देखा जाए कि कहीं इन रिवायतों में अधिक बढ़ा-चढ़ा कर तो बात नहीं की गई है।

लिखा गया है कि छिपे तौर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों की यहूदियों के प्रति दुश्मनी को हवा देने के लिए इन घटनाओं में बाद के लोगों ने रंग भर दिए हैं। क्योंकि बुखारी में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, वह यह है कि हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हो ने फ़ैसले में कहा था:

"तुक़तलुल मुक़ातिलाह", अर्थात उनके 'मुक़ातिला', अर्थात लड़ने वाले, मारे जाएँ।

अब सामान्य इतिहासकारों और व्याख्याकारों व सीरत लेखकों ने इसका अनुवाद यह किया कि हर वह पुरुष जो लड़ने के काबिल था, उसे मार दिया जाए। बल्कि उन्होंने इस शब्द का इतना व्यापक अर्थ ले लिया कि 'लड़ने के काबिल' का मतलब हर वयस्क पुरुष मान लिया गया। और वयस्कता का मापदंड भी खुद ऐसा तय किया गया कि कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया, जो हर पुरुष की वयस्कता की पहचान बाकायदा जांचते थे और ऐलान करते थे कि यह वयस्क है। इस तरह यह संख्या बढ़ती चली गई।

इसमें इस हद तक अतिशयोक्ति है। लेकिन जिनका झुकाव कम संख्या की ओर था, उन्होंने 'मुक़ातिला' शब्द का अनुवाद सीमित रखा और इसका मतलब केवल उन पुरुषों से लिया, जो इस युद्ध में शामिल हुए थे। उनकी जांच के अनुसार, यह संख्या बीस से अधिक नहीं थी। उन्होंने इसे और भी कम कर दिया। यह किसी हद तक तार्किकता का पहलू लिए हुए है। (स्रोत: "रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और यहूद-ए-हिजाज़," पृष्ठ 132-148, उर्दू अनुवाद "मोहम्मद एंड द ज्यूज़" लेखक: सैयद बरकात अहमद, अनुवादक: मुशीरुल हक, मक्तबा जामिया, नई दिल्ली लिमिटेड)

यह उनकी अपनी खोज है, लेकिन उनकी कुछ बातें वाकई तर्कसंगत हैं और शोध में इन्हें आधार बनाया जा सकता है।"

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हो ने ग़ज़वा-ए-बनू क़ुरैज़ा में मारे गए यहूदियों की संख्या को लेकर किए गए ग़ैर-मुस्लिम इतिहासकारों के आपत्तियों का जवाब देते हुए फ़रमाया:

"बनू क़ुरैज़ा की घटना के बारे में कुछ ग़ैर-मुस्लिम इतिहासकारों ने बहुत अप्रिय ढंग से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर हमले किए हैं और उन लगभग चार सौ यहूदियों की सज़ा-ए-क़त्ल की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नाऊज़ुबिल्लाह एक अत्याचारी और क्रूर शासक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह आपत्ति केवल धार्मिक पक्षपात पर आधारित है, जिससे इस्लाम और इस्लाम के संस्थापक के संबंध में बहुत से पश्चिमी विचारों के प्रभाव में प्रशिक्षित इतिहासकार भी मुक्त नहीं हो सके।"

अर्थात, कुछ मुसलमान भी उनके प्रभाव में आ गए।

"इस आपत्ति का जवाब देते हुए," वे लिखते हैं, **"सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि बनू क़ुरैज़ा के संबंध में जिस फ़ैसले को अन्यायपूर्ण कहा जा रहा है, वह हज़रत साद बिन मुआज़ का फ़ैसला था, न कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का। और जब यह फ़ैसला आपका था ही नहीं, तो इसकी वजह से आप पर आपत्ति नहीं की जा सकती।

दूसरे, यह फ़ैसला परिस्थितियों के अनुसार किसी भी तरह से ग़लत या अन्यायपूर्ण नहीं था... जो हालात पहले बताए गए हैं, वे किसी भी तरह से अन्यायपूर्ण नहीं थे।"

तीसरा, साद रज़ियल्लाहु अन्हो ने फ़ैसले की घोषणा से पहले आपसे जो वचन लिया था, उसकी वजह से आप इस बात के पाबंद थे कि हर हाल में उस पर अमल करें।

चौथा, जब स्वयं अपराधियों ने इस फ़ैसले को स्वीकार कर लिया और इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई, बल्कि इसे अपने लिए एक ख़ुदाई फ़ैसला समझा—जैसा कि हय्य बिन अख़तब के उन शब्दों से भी ज़ाहिर होता है, जो उन्होंने क़त्ल के समय कहे—तो ऐसी स्थिति में यह आपका काम नहीं था कि आप ज़बरदस्ती इसमें हस्तक्षेप करते।

साद रज़ियल्लाहु अन्हो के फ़ैसले के बाद इस मामले में आपका संबंध केवल इतना था कि आपने अपने प्रशासन के तहत इस फ़ैसले को बेहतरीन तरीक़े से लागू किया। और यह बताया जा चुका है कि आपने इसे ऐसे ढंग से लागू किया, जो दया और करुणा का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है।

अर्थात जब तक ये लोग फ़ैसले के लागू होने से पहले क़ैद में रहे, आपने उनकी रहने और खाने-पीने का सबसे अच्छा इंतज़ाम किया। और जब उन पर साद रज़ियल्लाहु अन्हो का फ़ैसला लागू किया जाने लगा, तो आपने इसे इस तरह से लागू किया, जिससे अपराधियों को न्यूनतम कष्ट हो। उदाहरण के लिए, आपने यह आदेश दिया कि एक अपराधी के क़त्ल के समय दूसरा अपराधी वहाँ मौजूद न हो।

इतिहास से यह भी पता चलता है कि जिन्हें क़त्लगाह में ले जाया जाता था, उन्हें तब तक यह पता नहीं चलता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, जब तक वे क़त्लगाह में न पहुँच जाते। इसके अलावा, जिसके संबंध में भी आपके सामने दया की अपील पेश की गई, आपने उसे तुरंत स्वीकार किया। आपने न केवल ऐसे लोगों की जान बख्श दी, बल्कि उनके परिवार, बच्चों और संपत्तियों को भी वापस लौटाने का आदेश दिया।

इससे बढ़कर अपराधियों के साथ दया और करुणा का व्यवहार और क्या हो सकता है? इसलिए, न केवल यह कि बनू क़ुरैज़ा की घटना के संबंध में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, बल्कि वास्तविकता यह है कि यह घटना आपके श्रेष्ठ नैतिकता, उत्कृष्ट प्रशासन और आपकी स्वाभाविक दया और कृपा का एक स्पष्ट प्रमाण है।

अब रहा मूल फ़ैसले का सवाल। तो इसके बारे में भी हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का अन्याय और अत्याचार नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से न्याय और इंसाफ़ पर आधारित था।"

इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि बनू क़ुरैज़ा का अपराध क्या था और वह अपराध किस स्थिति में किया गया। तो इतिहास से यह पता चलता है कि जब शुरू-शुरू में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना में आए, तो उस समय मदीना में यहूदियों के तीन क़बीले बसे हुए थे, अर्थात बनू क़ैनका, क़बीला बनू

नदीर और क़बीला बनू क़ुरैज़ा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिजरत के बाद जो पहला राजनीतिक काम किया, वह यह था कि इन तीनों क़बीलों के सरदारों को बुलाकर उनके साथ शांति और सुरक्षा का एक समझौता किया। इस समझौते की शर्तें यह थीं कि मुसलमान और यहूदी मदीना में शांति से रहेंगे, एक-दूसरे के साथ मित्रवत संबंध रखेंगे, और एक-दूसरे के दुश्मनों को किसी प्रकार की मदद नहीं देंगे। न ही एक-दूसरे के दुश्मनों के साथ कोई संबंध बनाएंगे, और अगर किसी बाहरी क़बीले या क़बाइल की तरफ से मदीना पर कोई हमला हुआ, तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अगर समझौता करने वालों में से कोई व्यक्ति या कोई समूह इस समझौते को तोड़ेगा या फसाद का कारण बनेगा, तो बाकी लोग उसे खिलाफ हाथ उठाने का अधिकार रखेंगे। और सभी विवाद और झगड़े हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने लाए जाएंगे और आपका फैसला सबके लिए जरूरी होगा। लेकिन यह ज़रूरी था कि हर व्यक्ति या समुदाय के बारे में उसी के धर्म और उसी की शरीयत के अनुसार फ़ैसला किया जाए।

यह महत्वपूर्ण बात है कि जो फ़ैसला होगा, वह उनके धर्म और उनकी शरीयत के अनुसार होगा, बावजूद इसके कि मुसलमानों की सरकार स्थापित कर दी गई थी।

"अब यह देखना चाहिए कि इस समझौते पर यहूदियों ने कैसे अमल किया?"

इसका जवाब यह है कि "सबसे पहले क़बीला बनू क़ैनुका ने धोखा दिया और मित्रवत संबंधों को तोड़कर मुसलमानों से युद्ध की शुरुआत की और मुस्लिम महिलाओं की बेइज़्ज़ती का नीच तरीका अपनाया। फिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर प्रतिष्ठित स्थिति थी, उसे अत्यधिक विद्रोहात्मक तरीके से नकार दिया।" घमंड में आकर नकार दिया।

"लेकिन जब वे मुसलमानों के सामने पराजित हो गए, तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया और सिर्फ इतना सावधानी बरती कि बनू क़ैनुका मदीना से निकलकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाएं, ताकि शहर का शांति भंग न हो और मुसलमान एक छुपे हुए दुश्मन के खतरे से बच सकें।"

इसलिए क़बीला बनू क़ैनका के लोग अपने संपत्ति और परिवारों को लेकर शांति से मदीना से बाहर निकल गए और दूसरी जगह बस गए। लेकिन इस घटना से बाकी यहूदी क़बीले ने कोई शिक्षा नहीं ली। बल्कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दया ने उन्हें और भी अनावश्यक साहस दे दिया और ज्यादा समय नहीं गुज़रा था कि यहूदी क़बीला बनू नदीर ने भी सिर उठाया और सबसे पहले उनके एक प्रमुख क़ाब बिन अशर्फ ने समझौता तोड़कर कुरैश और दूसरे अरब क़बीले के साथ मुसलमानों के खिलाफ साज़िश शुरू की। और अरब के इन जंगली दरिंदों को हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके सहाबियों के खिलाफ खतरनाक तरीके से भड़काया। मुसलमानों के खिलाफ ऐसे उकसाने वाले अशआर कहे, जिससे देश में मुसलमानों के लिए एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर इस बदक़िस्मत व्यक्ति ने सम्मानित मुसलमान महिलाओं का नाम लेकर अपने अशआर में उन पर तंज कसे और आखिरकार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़त्ल की साज़िश की। और जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश से इस व्यक्ति को उसके कृत्य का फल मिला, तो उसका क़बीला एकजुट होकर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो गया और उसी दिन से बनू नदीर ने समझौता तोड़ दिया और मुसलमानों के खिलाफ साज़िश शुरू कर दी। आखिरकार, पूरे क़बीले ने मिलकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़त्ल का योजना बनाया और यह तय किया कि किसी भी हालत में उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना है। हालांकि पहले समझौते में यह सब शामिल था कि यदि कोई गलत काम करेगा तो उसे सजा दी जाएगी और खुशी से दी जाएगी। फिर भी, "और जब उनके इन खूनखराबे के इरादों का पता चला, तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी चेतावनी और सजा का तरीका अपनाया, तो वे अत्यधिक घमंड में मुसलमानों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और इस युद्ध में बनू क़ुरैज़ा ने उनकी मदद की। लेकिन जब बनू नदीर हार गए..." अब यहां बनू नदीर को बनू क़ुरैज़ा ने मदद दी, उन्होंने भी समझौता तोड़ा, "जब बनू नदीर हार गए, तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनू क़ुरैज़ा को पूरी तरह माफ़ कर दिया," इसके बावजूद कि वे बनू नदीर के साथ मिल गए थे, "आप ने बनू क़ुरैज़ा को माफ़ कर दिया और बनू नदीर को भी मदीना से शांति से जाने की अनुमति दे दी। हालांकि इतना किया कि उन्हें उनके हथियारों के साथ जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इस एहसान का बदला बनू नदीर ने यह दिया कि मदीना से बाहर जाकर उनके प्रमुखों ने पूरे अरब का दौरा किया और विभिन्न क़बीलों को खतरनाक तरीके से उकसाकर एक विशाल सेना मदीना पर चढ़ाई करने के लिए ले आए।"

वे बहुत बड़ी सेना लेकर आए, "और सबसे यह पक्का वादा लिया कि अब जब तक इस्लाम को नष्ट नहीं कर देंगे, वे वापस नहीं जाएंगे।"

ऐसी खतरनाक स्थिति में, जिसका संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया गया है, यहूदियों के तीसरे क़बीले, बनू क़ुरैज़ा ने क्या किया? और यह क़बीला वह था जिस पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़ज़वा बनू नदीर के समय उनकी ग़द्दारी को माफ़ कर के विशेष एहसान किया था।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनू क़ुरैज़ा से एहसान का बर्ताव किया था, "और फिर दूसरा एहसान हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह था कि, हालांकि वे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिजरत से पहले बनू नदीर से दर्जे और अधिकारों में निम्न माने जाते थे," अब ये दोनों क़बीले, बनू नदीर और बनू क़ुरैज़ा, जो थे, उनके बीच भी दर्जों में फर्क था। बनू क़ुरैज़ा, बनू नदीर से निम्न माने जाते थे। "यानी यदि बनू नदीर का कोई आदमी बनू क़ुरैज़ा के हाथों मारा जाता था, तो हत्यारे को क़सास में मार दिया जाता था," यह उनका नियम था। "लेकिन यदि बनू क़ुरैज़ा का कोई आदमी बनू नदीर के हाथों मारा जाता था, तो केवल दियत की अदायगी पर्याप्त मानी जाती थी," और उसे कुछ धन लेकर छोड़ दिया जाता था।

"लेकिन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनू क़ुरैज़ा को अन्य नागरिकों के साथ समान अधिकार दिए।" फिर भी, इन महान एहसानों के बावजूद, बनू क़ुरैज़ा ने फिर भी ग़द्दारी की, और ग़द्दारी भी ऐसी नाज़ुक समय में की, जब मुसलमानों पर इससे भी ज्यादा नाज़ुक समय कभी नहीं आया। बनू क़ैनुका की मिसाल उनके सामने थी, उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। बनू नदीर की घटना उनके सामने हुई थी, उन्होंने इसका कोई पाठ नहीं लिया। तो फिर क्या किया? उन्होंने अपना समझौता तोड़कर और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एहसानों को भुलाकर, ठीक उस समय जब तीन हजार मुसलमान अत्यधिक बेबसी और विपत्ति की स्थिति में, काफ़िरों के दस से पंद्रह हजार खूंखार सैनिकों से घिरे हुए थे और उनकी स्थिति इतनी खराब हो रही थी कि उनके दिल दहल रहे थे, "और जंग ए अहज़ाब के समय मौत उन्हें सामने दिखाई दे रही थी। वे अपने किलों से बाहर निकले," बनू क़ुरैज़ा ने, और मुसलमानों की महिलाओं और बच्चों पर पीछे से हमला कर दिया और मुसलमानों के एकता से मुँह मोड़कर इस रक्तपात वाले गठबंधन में शामिल हो गए, जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम और इसके संस्थापक को नष्ट करना था।

"हां, उसी संस्थापक को, जिसका मदीना आने के बाद पहला काम यह था कि उसने इन यहूदियों को अपना मित्र और साझेदार बना लिया।" यह एक विचारणीय बात है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना में आकर यहूदियों को अपना मित्र और साझेदार बनाया। "और यहूदियों का पहला काम यह था कि उन्होंने उसे अपना मित्र और साझेदार माना, और उसे अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली का अध्यक्ष स्वीकार किया।"

इस स्थिति में, बनू क़ुरैज़ा का यह कार्य केवल एक विश्वासघात और ग़द्दारी नहीं था, बल्कि यह एक खतरनाक विद्रोह का भी रूप ले रहा था, और एक ऐसा विद्रोह कि यदि उनकी योजना सफल हो जाती, तो मुसलमानों की जान, उनके सम्मान, उनके धर्म और उनके विश्वास का निश्चित रूप से अंत हो जाता।

तो बनू क़ुरैज़ा केवल एक अपराध के दोषी नहीं थे, बल्कि उन्होंने विश्वासघात और एहसानफरामोशी की, उन्होंने ग़द्दारी की, बग़ावत की और हत्या की कोशिश की। और इन अपराधों को उन्होंने उन परिस्थितियों में अंजाम दिया, जो एक अपराध को भी सबसे भयावह रूप में पेश कर सकती थीं, और दुनिया की कोई भी निष्पक्ष अदालत उनके मामले में किसी भी प्रकार की छूट का पक्ष नहीं ले सकती थी। "किसी अदालत में ऐसे हालात में कोई छूट मिलने का कोई सवाल नहीं था।"

"ऐसे हालात में उनकी सजा के अलावा क्या हो सकती थी जो दी गई। जाहिर है कि संभावित रूप से केवल तीन सज़ाएँ ही दी जा सकती थीं। पहली, मदीना में ही क़ैदी या नजरबंदी। दूसरी, निर्वासन जैसा कि बनू क़ैनुका और बनू नदीर के मामले में हुआ था। तीसरी, युद्धरत व्यक्तियों का मर्डर और बाकी लोगों की क़ैदी या नजरबंदी। अब न्याय के साथ सोचिए कि उस समय की परिस्थितियों के तहत मुसलमानों के पास कौन सा तरीका था। एक दुश्मन क़ौम को अपने शहर में क़ैद रखना उस समय के हिसाब से बिल्कुल असंभव था, क्योंकि पहले तो क़ैद के साथ ही क़ैदियों की आवास और भोजन की ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर थी, जिसे वह बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे। दूसरे, उस समय कोई जेलें आदि नहीं होती थीं, और क़ैदियों के बारे में यही नियम था कि वे विजयी क़ौम के लोगों में बाँट दिए जाते थे, जहाँ वे व्यावहारिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र रहते थे। ऐसे हालात में, एक कट्टर विरोधी और षड्यंत्रकारी समूह का मदीना में रहना

अपने आप में अत्यधिक खतरनाक संभावनाएँ रखता था, और यदि बनू क़ुरैज़ा पर यह फैसला लिया जाता, तो इसका मतलब यह होता कि वे वही स्वतंत्रता पाते जो पहले थी, लेकिन उनके खर्चों की ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी जाती। यानी पहले अगर वे खुद खाते थे और मुसलमानों का गला काटते थे, तो आगे अगर उन्हें यहाँ शहर में रहने की आज़ादी दी जाती, तो वे मुसलमानों का ही खाना खाते और गला भी काटते।"

"वे षड्यंत्र तो करते ही, और मुसलमानों के घरों में और उनके साथ मिलकर रहने की वजह से जो दूसरे खतरें हो सकते थे, वे भी और बढ़ जाते।"

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने आगे लिखा, "ऐसे हालात में मैं नहीं समझ सकता कि कोई समझदार व्यक्ति यह राय रख सकता है कि बनू क़ुरैज़ा को यह सजा दी जा सकती थी कि उन्हें वहीं रखा जाए।"

अब रही दूसरी सजा यानी निर्वासन, तो यह सजा बेशक उस समय के हिसाब से दुश्मन के खतरे से बचने के लिए एक अच्छा तरीका माना जाता था, लेकिन बनू नदीर का निर्वासन का अनुभव यह बताता है कि कम से कम यहूदियों के मामले में, यह तरीका किसी भी स्थिति में पहले तरीके से कम खतरनाक नहीं था। यानी यहूदियों को मदीना से बाहर जाने की अनुमति देना, इसका कोई मतलब नहीं था सिवाय इसके कि न सिर्फ यह कि व्यावहारिक और युद्ध के विरोधी इस्लाम के दुश्मनों की संख्या बढ़ जाए, बल्कि इस्लाम के दुश्मन उन लोगों से मिल जाएं जो अपनी खतरनाक उत्तेजना, विरोधी प्रचार, और गुप्त षड्यंत्रों की वजह से हर विरोधी इस्लाम आंदोलन के नेता बनने के लिए बेचैन थे। इतिहास से यह साबित है कि यहूदियों के सारे क़बीले में से बनू क़ुरैज़ा अपने विरोध में सबसे बढ़कर थे। तो निश्चित रूप से, बनू क़ुरैज़ा का निर्वासन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता था जितना कि बनू नदीर ने ग़ज़वा अहज़ाब के समय मुसलमानों के लिए पैदा किया। और अगर मुसलमान ऐसा करते, तो उस समय की परिस्थितियों में उनका यह कार्य कतई आत्महत्या से कम न होता। मगर क्या दुनिया में कोई ऐसी क़ौम है जो दुश्मन को ज़िंदा रखने के लिए खुद आत्महत्या करने को तैयार हो? अगर नहीं, तो निश्चित रूप से मुसलमानों को इस वजह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उन्होंने बनू क़ुरैज़ा को ज़िंदा रखने के लिए आत्महत्या क्यों नहीं की।"

"तो ये दोनों सज़ाएँ असंभव थीं और इनमें से कोई भी अपनाना, खुद को निश्चित विनाश में डालने जैसा था। और इन दोनों सज़ाओं को छोड़कर केवल वही रास्ता खुला था, जो अपनाया गया।

निश्चित रूप से, साद का निर्णय अपनी प्रकृति में एक कठोर निर्णय था, और मानव स्वभाव सामान्यतः इससे एक आघात महसूस करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बिना कोई और रास्ता था जिसे अपनाया जाता।

जब एक सर्जन अपने किसी रोगी का ऑपरेशन करता है और उसकी हाथ या पैर काट देता है या किसी और अंग को शरीर से अलग कर देता है, तो हर सभ्य इंसान के दिल को दुःख होता है कि यदि ऐसा न किया जाता, अर्थात अगर परिस्थितियों की मजबूरी इसे आवश्यक न बनाती, तो बेहतर होता, लेकिन परिस्थितियों की मजबूरी के सामने झुकना पड़ता है। वास्तव में, ऐसे हालात में सर्जन का यह कदम सराहनीय माना जाता है, क्योंकि उसने थोड़ी या कम मूल्य वाली चीज़ की बलि देकर अधिक मूल्यवान चीज़ को बचा लिया। इसी प्रकार, बनू क़ुरैज़ा के मामले में साद का निर्णय, हालांकि कठोर था, लेकिन यह परिस्थितियों की मजबूरी का एक अनिवार्य परिणाम था, जिसके बिना कोई विकल्प नहीं था। यही कारण है कि मार्गोलिस जैसे इतिहासकार, जो बिल्कुल भी इस्लाम के समर्थक नहीं थे, भी इस समय यह स्वीकार करने पर मजबूर हुए कि साद का निर्णय परिस्थितियों की मजबूरी पर आधारित था, जिसके बिना कोई उपाय नहीं था।

चलिए, अब हम मार्गोलिस के शब्दों को देखते हैं:

"ग़ज़वा-ए-अहज़ाब का हमला, जिसके बारे में मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का यह दावा था कि वह केवल ईश्वर के नियंत्रण में पीछे हट गया था, वह बनू नदीर की उकसाने वाली कोशिशों का परिणाम था, या कम से कम यह माना जाता था कि वह उनकी कोशिशों का परिणाम था। और बनू नदीर वही थे जिन्हें मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने केवल निर्वासित कर दिया था। अब सवाल यह था कि क्या मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम बनू क़ुरैज़ा को भी निर्वासित कर, अपने खिलाफ उकसाने वाली कोशिशों में शामिल होने वालों की संख्या और ताकत में वृद्धि कर देंगे? दूसरी ओर, वह क़ौम जो मदीना में भी नहीं रह सकती थी, उसने खुले तौर पर आक्रमणकारियों का साथ दिया था। उनका निर्वासन असुरक्षित था, लेकिन उनका मदीना में रहना भी उतना ही खतरनाक था। तो इस फैसले के बिना कोई उपाय नहीं था, और इसलिए उन्हें हत्या का आदेश दिया गया।"

फिर यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि बनू क़ुरैज़ा केवल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सहयोगी और संधि के पार्टनर नहीं थे, बल्कि वे अपनी प्रारंभिक संधि के अनुसार मदीना में मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सरकार को स्वीकार कर चुके थे, या कम से कम उन्होंने उनकी सर्वोत्तमता (sovereignty) को स्वीकार किया था। तो उनकी स्थिति केवल एक ग़द्दार सहयोगी या सामान्य दुश्मन की नहीं थी, बल्कि वे निश्चित रूप से विद्रोही थे और ऐसे विद्रोही जो बेहद खतरनाक थे। और विद्रोही को सजा, विशेष रूप से युद्ध के समय में, केवल हत्या के रूप में ही समझी गई।

यदि विद्रोही को भी अंतिम सज़ा नहीं दी जाती, तो सरकार का ढांचा पूरी तरह टूट जाता और बुरे और भ्रष्ट लोग ऐसी हिम्मत जुटा लेते, जो सार्वजनिक शांति और कल्याण के लिए अत्यधिक घातक साबित होती। और निश्चित रूप से, ऐसे हालात में विद्रोही पर दया करना वास्तव में देश और देश के शांतिपूर्ण लोगों पर अत्याचार करने के समान होता।

इसलिए, सभी सभ्य सरकारें इस समय तक ऐसे विद्रोहियों को, चाहे वह पुरुष हों या महिलाएं, मौत की सजा देती आई हैं और किसी भी समझदार व्यक्ति ने कभी इस पर आपत्ति नहीं की। तो साद का निर्णय पूरी तरह से न्यायसंगत था और न्याय और सच्चाई के सिद्धांतों के अनुरूप था, और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपने वादे के कारण इस निर्णय में दया का पक्ष नहीं अपना सकते थे, सिवाय कुछ व्यक्तियों के, और इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया।

अर्थात यदि कुछ व्यक्ति माफी मांगते तो उन्हें माफ किया जा सकता था, लेकिन पूरे क़ौम को माफ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने पहले ही साद से वादा किया था।

"लेकिन ऐसा लगता है कि यहूदियों ने इस शर्म से कि उन्होंने मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को न्यायाधीश मानने से इंकार किया था, दया की अपील करने में ज्यादा कोशिश नहीं की। और जाहिर है कि बिना अपील के, आप दया नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो विद्रोही अपने अपराध पर पछतावा भी नहीं करता, उसे स्वतः छोड़ देना राजनीतिक रूप से बहुत खतरनाक परिणाम उत्पन्न कर सकता था।

एक और महत्वपूर्ण बात यह याद रखना आवश्यक है कि जो संधि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और यहूदियों के बीच शुरू में हुई थी, उसकी शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि यदि यहूदियों के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता, तो उसका निर्णय उनके अपने धर्मशास्त्र के तहत किया जाएगा।"

इस प्रकार, इतिहास से पता चलता है कि इस समझौते के तहत, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हमेशा यहूदियों के मामलों में शरीयत मूसा के अनुसार निर्णय लिया करते थे। अब हम बाइबल पर नज़र डालते हैं, तो वहां इस प्रकार के अपराध की सजा, जिसे बनू क़ुरैज़ा ने अंजाम दिया, ठीक वही लिखी हुई पाते हैं जो साद बिन मुआज़ ने बनू क़ुरैज़ा पर लागू की थी।

बाइबिल में यह ईश्वर का आदेश दर्ज है:

"और जब तुम किसी शहर के पास उससे लड़ने के लिए पहुँचो तो पहले उससे शांति का संदेश भेजो। फिर यदि वह तुम्हें उत्तर दे कि शांति स्वीकार है और तुम्हारे लिए उसके द्वार खोल दे तो उस शहर की सभी जनसंख्या तुम्हारे कर के अधीन होगी और तुम्हारी सेवा करेगी। लेकिन यदि वह तुमसे शांति न करे और तुमसे युद्ध करे तो उसका घेराव करो, और जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर उसे तुम्हारे कब्जे में दे दे, तो वहां के प्रत्येक पुरुष को तलवार से मार डालो, लेकिन महिलाओं, बच्चों और मवेशियों को तथा जो कुछ भी उस शहर में है, उसका पूरा लूट तुम अपने लिए ले लो।"

(व्यवस्थाविवरण, अध्याय 20, आयत 10-15)

यहूदियों की शरीयत का यह आदेश केवल कागज़ पर लिखा हुआ आदेश नहीं था, जिस पर कभी कार्यवाही न की गई हो, बल्कि इस पर हमेशा से अमल किया गया है और यहूदी मामले हमेशा इसी मूल के तहत हल होते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, देखें:

"और उन्होंने (यानी बनू इसराइल ने) मदीयानी लोगों से लड़ा जैसा प्रभु ने मूसा से कहा था, और सारे पुरुषों को मार डाला। और उन्होंने उन मारे गए लोगों के अलावा इव्वी, रक़्म, सूर, हूर, और रिबा नामक मदीयान के पांच राजाओं को भी मार डाला और बेलीआम, बीर के बेटे को भी तलवार से मारा और बनू इसराइल ने मदीयान की महिलाओं और उनके बच्चों को बंदी बना लिया और उनके मवेशियों, भेड़ों, बकरियों और संपत्ति को लूट लिया... और उन्होंने सारी लूट, सभी बंदियों और जानवरों को मोआब के मैदान में यरदन के किनारे, यरीहो के सामने, कैम्प में लाकर मूसा और एलीआजर, याजक और पूरी इसराइल की सभा को प्रस्तुत किया।"

(गिनती, अध्याय 31, आयत 7-12, पाकिस्तान बाइबिल सोसाइटी, उर्दू बाजार,

लाहौर)

हज़रत ईसा नासरी (जो स्वयं भी बनू इसराइल से थे) को अपनी ज़िंदगी में कोई राजकीय शक्ति प्राप्त नहीं हुई और न ही कभी कोई युद्ध हुआ जिसमें उनका तरीका कार्य में दिख सके, लेकिन उनके कुछ कथनों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके शरारती और दुष्ट दुश्मनों के बारे में क्या विचार थे। हज़रत ईसा ने अपने दुश्मनों को संबोधित करते हुए कहा:

"हे सांपों! सांपों के संतानो! तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे?"

(मत्ती, अध्याय 23, आयत 33)

अर्थात, "हे लोग! तुम ज़हरीले सांपों की तरह बनकर नष्ट होने के योग्य हो, लेकिन मुझे यह शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें दंड दूं, लेकिन तुम खुद से डरकर और नरक के दंड का विचार करके अपनी बुराईयों और शरारतों से वापस आओ।" संभवतः यही कारण था कि जब हज़रत ईसा के अनुयायियों को दुनिया में शक्ति मिली, तो उन्होंने हज़रत ईसा की इस शिक्षा के तहत, कि शरारती और दुष्ट दुश्मन सांपों और बिच्छुओं की तरह नष्ट किए जाने योग्य होते हैं, जिसे भी शरारती और दुष्ट समझा और अपने इरादों में रुकावट पाया, उसे नष्ट करने में संकोच नहीं किया। यही हम देख रहे हैं।

इसलिए, ईसाई राष्ट्रों का इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा हुआ है।

कुल मिलाकर यह कि साद का निर्णय, हालांकि अपनी प्रकृति में कठोर माना जा सकता है, लेकिन वह बिल्कुल भी न्याय और सच्चाई के खिलाफ नहीं था, और यहूदी अपराध की प्रकृति और मुसलमानों की सुरक्षा दोनों के कारण यही निर्णय उचित था। और फिर यह निर्णय यहूदी शरीयत के ठीक अनुसार था, बल्कि इस प्रारंभिक समझौते के तहत यह आवश्यक था कि ऐसा ही होता, क्योंकि इसके अनुसार मुसलमान इस बात के पाबंद थे कि वे यहूदियों के मामलों में उनकी शरीयत के अनुसार निर्णय करें।

लेकिन जो कुछ भी था, यह निर्णय साद बिन मुआज़ का था, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का नहीं, और साद पर ही इसकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी थी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का क़िस्सा केवल राष्ट्रपति के रूप में था, और उन्होंने इस निर्णय को अपनी सरकार के प्रशासन के तहत लागू किया।

"और यह बताया जा चुका है कि आपने इसे ऐसे रंग में जारी किया जो वर्तमान समय की सभ्य से सभ्य और दयालु से दयालु सरकार के लिए भी एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है।"

(सीरत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम, हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एम.ए. पृष्ठ 605 से 613)

तो यह है जवाब आजकल के उन आलोचकों का, उन लोगों का जो इस्लाम पर आरोप लगाते हैं और इसके परिणामस्वरूप कुछ हमारे अपने लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। युवाओं में भी सवाल उठते हैं कि क्यों बनू क़रीज़ा को मारा गया, इसका औचित्य बना कर अब कुछ लोग यह भी कहने लगे हैं कि जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वह भी इस दृष्टि से जायज़ है, जबकि उसकी वर्तमान स्थिति और उस समय की स्थिति में कोई तुलना नहीं है और जो प्रतिशोध लिया जा रहा है, उसके साथ-साथ महिलाओं और बच्चों को भी मारा जा रहा है। फिर भी यह सब दोष भी मुसलमानों का ही है जिन्होंने अपने लाभ के लिए इस्लाम की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। अल्लाह तआला उन लोगों को भी समझदारी दे।

(अल-फज़ल इंटरनेशनल 22 नवम्बर 2024, पृष्ठ 2 से 6)

★ ★ ★

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा)

1800 3010 2131

(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9 00 बजे से रात 11 00 बजे तक)

Web.www.alislam.org

www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

घोषणा: ड्राइवर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं - सदर अंजुमन अहमदिया कादियान

शर्तें:

1. उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. उम्मीदवार के पास कम से कम दसवीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
3. उम्मीदवार के पास चार पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना आवश्यक है।
4. उम्मीदवार के लिए किसी सरकारी या निजी संस्था में ड्राइविंग का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इसके अलावा, अपनी आवेदन के साथ उस संस्थान का अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है जहां उम्मीदवार ने अनुभव प्राप्त किया है।
5. उम्मीदवार को अपना जन्म प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सफल होना आवश्यक है।
7. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सफल होने वाले उम्मीदवारों का ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा।
8. उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि वह नूर अस्पताल कादियान से चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र के अनुसार स्वस्थ और तंदुरुस्त हो।
9. चयनित ड्राइवर को नियुक्ति के बाद दूसरे श्रेणी के बराबर भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
10. चयन होने की स्थिति में उम्मीदवारों को कादियान में प्रारंभिक पांच वर्षों तक अपनी आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
11. उम्मीदवार के यात्रा खर्च (आवागमन) स्वयं करेगा।

नोट: लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और ड्राइविंग टेस्ट की तारीख के बारे में उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

नज़रात दीवान सदर अंजुमन अहमदिया कादियान, पिन कोड: 143516

मोबाइल: 09888232530, 09682627592

दफ़्तर: 01872-501130

ई-मेल: diwan@qadian.in

पृष्ठ 11 का शेष भाग

की सारी टेंशन दूर हो गई और मुझे तो अपनी सांस की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मेरे दिल की ख्वाहिश अल्लाह तआला ने पूरी कर दी। मेरे लिए तो कुछ बहुत बड़ा हुआ।"

नईम अहमद साहब जमाअत हैरिसबर्ग से आए थे, कहने लगे, "मैं तो हज़रत को ही देखता रहा और दुआ करता रहा। मेरी हज़रत से मिलने की ख्वाहिश अल्लाह तआला ने पूरी कर दी।"

तकी अहमद बाजवा साहब जमाअत हैरिसबर्ग से आए थे, कहने लगे, "मेरे बेटे की उम्र दो साल है, मुझे उसके साथ मुलाकात का मौका मिला। दुआ के लिए कहा, लेकिन जब मुझे माइक मिला तो हज़रत का जलाल इतना था कि मुझसे बात नहीं हो सकी।"

एक दोस्त मुहम्मद अज़हर ताहिर साहब साउथ वर्जीनिया से आए थे, कहने लगे, "यह मेरी जिंदगी की पहली मुलाकात थी, हज़रत के चेहरे पर बहुत नूर था, जिसे देख कर इंसान सब कुछ भूल जाता है। मैंने अपने परिवार के लिए दुआ की।"

ज़ियाउर्रहमान साहब जमाअत हैरिसबर्ग से आए थे, कहने लगे, "मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, आवाज ज्यादा नहीं आई, लेकिन मैंने सारा समय हज़रत को ही देखा। मैं अपने जज्बात, एहसासात वर्णन नहीं कर सकता, यह वर्णन से बाहर है।"

एक साहब नासिर समी साहब नॉर्थ वर्जीनिया से आए थे, कहने लगे, "हज़रत के सामने ऐसा था जैसेमज्लिस इर्फान हो रही हो। हज़ूर का इतना फ़रमान कि अल्लाह तआला तौफीक दे, हमारे लिए यही काफी होता है। इससे दिल को बहुत सुकून मिलता है।" शेष ..

पृष्ठ 1 का शेष भाग

यही हाल अन्य मुद्दों का भी है। यूरोप एक लंबे समय तक इस्लामी शिक्षाओं का विरोध करता रहा।

लेकिन अब वहाँ के कुछ शिक्षित और उच्च वर्ग के लोग उन्हीं बातों को इस्लाम की सच्चाई का प्रमाण मानने लगे हैं, जो पहले उनके लिए आलोचना का विषय थीं।

इस्लाम की शिक्षा और यूरोप का दृष्टिकोण

जब मैं अपने इलाज के सिलसिले में लंदन गया, तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले एक प्रसिद्ध संगीतकार, जो लंदन के एक बड़े ओपेरा में काम करता था, इस्लाम की ओर आकर्षित हुआ।

मुझे वहाँ के प्रचारकों ने बताया कि उसकी इस्लाम की ओर रुचि का कारण आम कारणों से बिल्कुल अलग था।

पहले, यूरोप में बहुपत्नीवाद का मुद्दा इस्लाम के लिए सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता था।

यूरोपीय लोग कहते थे कि एक से अधिक पत्नियाँ रखना अत्याचार है। लेकिन जब उस व्यक्ति के दिल में इस्लाम की ओर आकर्षण हुआ, तो उसने सबसे पहले पूछा: "इस्लाम बहुपत्नीवाद के बारे में क्या कहता है?"

कुछ मुसलमानों ने कहा: "यह इस्लाम के विरोधियों का दुष्प्रचार है। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं।"

लेकिन वह इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और हमारे प्रचारकों के पास आया। जब उसे बताया गया कि इस्लाम में विशेष परिस्थितियों और शर्तों के तहत इसकी अनुमति है, तो उसने कहा: "यह तो एक व्यावहारिक और न्यायपूर्ण नियम है।"

नए दृष्टिकोण और विचारधारा में परिवर्तन

इस संगीतकार ने स्वीकार किया कि यूरोप ने इस्लामी शिक्षा को छोड़कर बहुत कुछ खो दिया है।

उसने कहा, "हमारे समाज में नैतिकता इस कदर गिर चुकी है कि अच्छे पति मिलना दुर्लभ हो गए हैं।"

यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे समाज में स्पष्ट हो रहा है।

(तफ़्सीर-ए-कबीर, खंड 6, पृष्ठ 87, प्रकाशित 2010, क़ादियान)

★ ★ ★

पृष्ठ 1 का शेष भाग

द्वारा नियुक्त लोगों के विरोधियों का अस्तित्व भी आवश्यक है, जैसे फूलों के साथ काँटों का अस्तित्व होता है।

तिरयाक भी है, तो ज़हर भी है।

कोई हमें किसी भी नबी के युग का उदाहरण दे, जिसमें उनके विरोधी न रहे हों,या जिन पर यह आरोप न लगाया गया हो कि वे व्यापारी, ठग, झूठे, या झूठे आरोप लगाने वाले हैं।

मूसा (अलैहिस्सलाम) पर भी झूठे आरोप लगाए गए।यहाँ तक कि एक गंदे व्यक्ति ने उन पर व्यभिचार का आरोप लगाया और एक महिला को पेश कर दिया।

उन पर हर प्रकार के झूठे आरोप लगाए गए ताकि लोग परखे जाएँ। और यह हरगिज़ नहीं होता कि खुदा के लगाए हुए पौधे उन दुष्टों की फूकों से नष्ट कर दिए जाएँ।

यही एक निशानी और पहचान होती है उनके खुदा की तरफ से होने की, कि विरोधी कोशिश करते हैं कि वे नष्ट हो जाएँ, लेकिन वे बढ़ते और फूलते रहते हैं।

हाँ, जो खुदा की तरफ से नहीं होता, वह अंत में नष्ट और समाप्त हो जाता है। लेकिन जिसे खुदा ने अपने हाथों से लगाया है, उसे किसी की कोशिश से नष्ट नहीं किया जा सकता।वे उसे काटना चाहते हैं और वह बढ़ता है।

इससे साफ़ पता चलता है कि खुदा का हाथ है, जो उसे थामे हुए है।

(मल्-फ़ूज़ात, खंड 2, पृष्ठ 48, संस्करण 2018, क़ादियान)

★ ★ ★

पृष्ठ 8 का शेष भाग

नाप-तौल को पूरा रखो, उसमें किसी प्रकार की कमी न करो। और जब तक खरीदा हुआ माल अपने क़ब्जे में न ले लो, उसे आगे बेचो मत।

(सहीह बुखारी, किताब-उल-बयू, बाब अल-कैल अलल-बायिअ व अल-मुअती)

"इसलिए हर कारोबार पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके करना चाहिए ताकि न तो इंसान खुद धोखा खाए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा दे। शॉर्ट सेलिंग के कारोबार में कंपनियों के स्तर पर और व्यक्तिगत रूप से भी खरीदार को धोखा दिया जाता है। जिन शेयरों की कीमत गिरने वाली होती है, उन्हें इस इरादे से बेचा जाता है कि कुछ दिन बाद जब उन शेयरों की कीमत गिर जाएगी, तो उन्हें सस्ते दामों पर खरीदकर असली मालिक को वापस कर दिया जाएगा। यानी, इस बात का ज्ञान होने के बावजूद कि इन शेयरों की कीमत कुछ दिनों में गिर जाएगी, खरीदार को अंधेरे में रखकर ये शेयर बेचे जाते हैं।

इसके अलावा, स्टॉक मार्केट के संदर्भ में होने वाले विभिन्न कारोबारों में से शॉर्ट सेलिंग का कारोबार एक तरह से जुए जैसा ही है। इसलिए कई बार शॉर्ट सेलर्स को लाभ होने की बजाय बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, जैसा कि कुछ समय पहले गेमस्टॉप के शेयरों के मामले में हुआ था।

इसलिए इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में, एक सच्चे ईमानदार व्यापारी की ज़िम्मेदारी है कि न तो खुद धोखा खाए और न ही दूसरों को धोखा दे। बल्कि साफ-सुथरी व्यापारिक पद्धति अपनाकर वित्तीय लाभ अर्जित करे और अपने रब को राज़ी रखे।

प्रश्न : एक अरब महिला ने हज़ूर अनवर, अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसरिहिल अज़ीज़, की खिदमत में लिखा कि हदीस में आया है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उसके ज़िम्मे रोज़े बचे हों, तो उसके बच्चे उसकी तरफ से वो रोज़े रख सकते हैं। इस विषय में जमाअत का क्या मत है? हज़ूर अनवर ने अपने 24 मई, 2021 के पत्र में इस बारे में निम्नलिखित हिदायतें दीं।

हज़ूर अनवर ने फ़रमाया:

उत्तर : नमाज़ और रोज़ा बदनी इबादतें हैं, इसलिए इनका सवाब उसी व्यक्ति को मिलता है, जो इन्हें अदा करता है। हमारे नज़दीक, मृतक की तरफ से नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना उसकी औलाद की ज़िम्मेदारी नहीं है।

फ़ुक़हा की अधिकतर राय, जिसमें हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमहुल्लाह शामिल हैं, इन रोज़ों को रखने को सही नहीं मानती।

उनका भी यही तर्क है कि रोज़ा एक बदनी इबादत है, जो शरीयत के उसूल से वाजिब होती है और जीवन तथा मृत्यु के बाद इसमें किसी का प्रतिनिधित्व (नियाबत) नहीं चलता। (अल-फ़िक़्हुल-इस्लामी वा अदिल्लतह, किताब अस-सौम, डॉ. वहबाह अल-ज़ुहैली)।

जहां तक हदीस की किताबों में इस प्रकार की रिवायतों के वर्णन का सवाल है, तो इल्माए हदीस और शारहों ने इन रिवायतों की व्याख्या में विभिन्न प्रकार की रिवायतों का उल्लेख किया है। मसलन, मृतक की तरफ से उसकी औलाद द्वारा रोज़े रखने वाली रिवायतें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी हैं। लेकिन हदीस की किताबों में हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह रिवायत भी मौजूद है कि मृतक की तरफ से रोज़े मत रखो, बल्कि उसकी तरफ से खाना खिलाओ।

(फतहुल बारी, शरह सहीह बुखारी, किताब अस-सौम, बाब मन मता वा अलैहि सियामुन)।

इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी इस प्रकार की रिवायतों में कई मतभेद पाए जाते हैं। मसलन, एक जगह सवाल पूछने वाला पुरुष है और दूसरी जगह महिला। इसी तरह रोज़ों के बारे में भी मतभेद पाया जाता है कि वे रमज़ान के रोज़े थे या नज़्र के रोज़े। साथ ही, एक जगह रोज़ों के बारे में पूछा जा रहा है और दूसरी जगह हज के बारे में। (शरह बुखारी, हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह साहिब, तीसरा भाग, पृष्ठ 630, किताब अस-सौम)।

इस प्रकार के मतभेदों के कारण, मुहद्दीसों में भी मृतक की तरफ से रोज़े रखने के बारे में विभिन्न विचार पाए जाते हैं। लेकिन किसी ने भी इसे वाजिब नहीं माना।

हाँ, मृतक की तरफ से ऐसा कोई कार्य करना जिससे खुदा की मखलूक को लाभ पहुंचे, वह एक सदक़ा-ए-जारीया के रूप में होता है, जिसका सवाब मृतक को पहुँच जाता है।

★ ★ ★

क्या किसी महिला के लिए महिलाओं की भौंहों और शरीर पर टैटू (tattoo) बनाने का व्यवसाय करना जायज़ है?

ईद और जुमा के एक ही दिन पड़ने पर, ईद की नमाज़ अदा करने के बाद जुमा या ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बारे में हुज़ूर अनवर का मार्गदर्शन।

बारह बजे से एक बजे तक और जब सूरज निकल रहा हो, तो क़ुरआन क्यों नहीं पढ़ना चाहिए?

Short Selling के हलाल और हराम होने के बारे में हुज़ूर अनवर का मार्गदर्शन।

अगर कोई व्यक्ति देहांत कर जाए और उस पर रोज़े बाक़ी हों, तो क्या उसके बच्चे उसकी ओर से यह रोज़े रख सकते हैं? इस बारे में जमाअत का क्या मत है?"

सय्यदना हज़रत अमीरुल मौमेनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ से पूछे जाने वाले अहम प्रश्नों के उत्तर (क़िस्त-36)

प्रश्न: एक अरब महिला ने हुज़ूर अनवर की सेवा में लिखा कि किसी महिला ने उससे पूछा है कि क्या उसके लिए महिलाओं की भौंहों और शरीर पर टैटू बनाने का व्यवसाय करना जायज़ है? हुज़ूर अनवर, अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने पत्र दिनांक 27 अप्रैल 2021 में इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए:

उत्तर: टैटू बनाना और बनवाना जायज़ नहीं है। हदीसों में इसकी मनाही आई है कि अल्लाह ने उन औरतों पर लानत की है जो सुंदरता पाने के उद्देश्य से शरीर को गुदवाती हैं, गुदने वाली होती हैं, चेहरे के बाल उखाड़ती हैं, दांतों के बीच ख़लाएं बनाती हैं, या बालों में जोड़ लगाने वाली और लगवाने वाली होती हैं, क्योंकि ये सब अल्लाह की बनाई हुई सृष्टि में बदलाव करने की कोशिश करते हैं।

(सहीह बुखारी, किताबुल-लिबास)

इस्लाम के हर आदेश में कोई न कोई हिकमत (तत्वज्ञान) होता है। इसी प्रकार, कुछ इस्लामी आदेशों का एक विशेष पृष्ठभूमि होता है। जब इन आदेशों को इस पृष्ठभूमि से अलग देखेंगे, तो उनका रूप बदल जाएगा।

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की पैग़ंबरी शुरू हुई, तो उस समय विशेष रूप से अरब प्रायद्वीप में विभिन्न प्रकार के शिर्क का ज़हर फैला हुआ था। इसके साथ ही, सामाजिक भ्रष्टाचार ने भी लोगों को जकड़ रखा था। महिलाएं और पुरुष अलग-अलग प्रकार की मूर्तिपूजक रस्मों और सामाजिक बुराइयों में डूबे हुए थे।

इन हदीसों में जिन चीज़ों की मनाही की गई है, उनमें दो बातें विशेष रूप से सामने आती हैं। पहली यह कि इन चीज़ों का उद्देश्य अल्लाह की सृष्टि में बदलाव करना है और दूसरी यह कि इनका मकसद केवल सुंदरता प्राप्त करना है।

जब हम इन दोनों बातों पर गौर करते हैं, तो पहली बात, अर्थात अल्लाह की सृष्टि में बदलाव, सामाजिक बुराइयों की ओर संकेत करता है और साथ ही मूर्तिपूजक कृत्यों की भी झलक दिखाता है। उदाहरण के लिए:

बालों में लंबे गुच्छे लगाकर उन्हें बुज़ुर्गी की निशानी मानना।

किसी पीर या गुरु की भेंट के रूप में बालों के लट बनाना। चार हिस्सों में बाल काटकर बीच से सिर मुंडवा देना और इसे बरकत समझना। इसी प्रकार, शरीर, चेहरे, या बाजू पर देवी, मूर्ति, या जानवर की आकृति गुदवाना। यह सभी मूर्तिपूजक तरीके थे और इनके पीछे धार्मिक अंधविश्वास काम करते थे।

दूसरी बात, यानी सुंदरता प्राप्त करने के लिए ऐसा करना, कुछ हद तक सामाजिक भटकाव और अश्लीलता को दर्शाती है। जायज़ सीमाओं के भीतर रहते हुए, अपनी सुंदरता के लिए कोई वैध तरीका अपनाना मना नहीं है। इस संदर्भ में एक हदीस में आता है कि एक व्यक्ति ने अर्ज़ किया कि मुझे अच्छा लगना पसंद है और मैं चाहता हूं कि मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरी जूती अच्छी हो। तो क्या यह घमंड में शामिल है? इस पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, यह घमंड नहीं है। घमंड तो सत्य का इंकार करने और दूसरों को हीन समझने का नाम है। और इसके साथ ही हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया: "इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल", यानी अल्लाह तआला बेहद ख़ूबसूरत है और सुंदरता को पसंद करता है।

(सही मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब तहरीमिल किब्र व बयानिह)

इसी तरह, हदीसों में आता है कि जब बेटियों की शादी होती थी, तो उन्हें उस समय के तरीकों के अनुसार सजाया-संवारा जाता और सुंदर बनाया जाता था। (सही बुखारी, किताबुल हिबा व फज़्लिहा व तहरीज़ अलेह, बाब अल-

इस्तिआरा लिल-अरूस इंद अल-बिनाए; फत्हुल बारी, शरह सहीह बुखारी, किताबुन्निकाह, बाब इस्तिआरति-अस्सियाब लिल-अरूस व गैरिहा)

इसलिए, जिस सुंदरता के लिए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने लानत का ऐलान किया है, उसका निश्चित रूप से कुछ और मतलब है। जब हम इस संदर्भ में इन हदीसों पर गौर करते हैं, तो हमें यह बात भी नज़र आती है कि इन चीज़ों की मनाही के साथ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि बनी इस्राईल उस समय तबाह हुए जब उनकी औरतों ने इस प्रकार के कार्य शुरू कर दिए। हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की पैग़ंबरी के समय यहूदियों में अश्लीलता आम थी, और मदीना में अश्लीलता के कई अड्डे मौजूद थे।

इनमें शामिल महिलाएं, पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाती थीं। इस कारण, रसूल-ए-ख़ुदा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इन कार्यों की बुराई वर्णन कर, मोमिन औरतों को इससे मना फ़रमा दिया।

इन चीज़ों की मना करने में स्पष्ट रूप से यह हिकमत नज़र आती है कि इनके परिणामस्वरूप यदि इंसान की शारीरिक संरचना में इस तरह कृत्रिम बदलाव हो जाए कि पुरुष और महिला के बीच का भेद, जो अल्लाह तआला ने मनुष्यों में रखा है, समाप्त हो जाए, या इस प्रकार के कार्यों से शिर्क (जो सबसे बड़ा गुनाह है) की ओर झुकाव पैदा होने का अंदेशा हो, या इन्हें इस उद्देश्य से किया जाए कि अपनी विपरीत लिंग को अनुचित तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया जाए, तो ये सभी कार्य नाजायज़ और दंडनीय करार दिए जाएंगे।

जहां तक टैटू बनवाने का सवाल है, चाहे पुरुष हो या महिला, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इसे प्रदर्शित किया जाए और अपनी विपरीत लिंग को अनुचित रूप से आकर्षित किया जाए। इसी कारण लोग आमतौर पर टैटू शरीर के ऐसे हिस्सों पर बनवाते हैं, जिन्हें वे आम लोगों के सामने खुले तौर पर दिखा सकें। लेकिन अगर कोई टैटू शरीर के ढके हुए हिस्से पर बनवाता है, तो इसके पीछे भी यही सोच होती है कि बुराई और बुरे कार्यों के दौरान अपनी विपरीत लिंग के सामने इन छिपे अंगों पर बने टैटू को प्रदर्शित किया जा सके। ये दोनों तरीके ही इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत होने के कारण नाजायज़ हैं।

इसके अलावा, टैटू के कई स्पष्ट और चिकित्सकीय नुकसान भी हैं। शरीर के

जिन हिस्सों पर टैटू बनवाया जाता है, वहां त्वचा के नीचे पसीना लाने वाले ग्रंथियां (ग्लैंड) बुरी तरह प्रभावित होती हैं, जिससे उन हिस्सों पर पसीना आना कम हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक है। इसी प्रकार, कुछ प्रकार के टैटू स्थायी रूप से शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। इसके कारण शरीर के बढ़ने या सिकुड़ने के साथ टैटू का आकार भी बदल जाता है, जिससे वह बदसूरत दिखने लगता है। कई लोग इसे एक परेशानी समझने लगते हैं, लेकिन इसे हटाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए, इन कारणों से भी टैटू बनवाना व्यर्थ कार्य है।

जहां तक महिलाओं के अपनी सुंदरता के लिए इस्लामी सीमाओं में रहते हुए भौंहें बनवाने की बात है, तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उन बुराइयों को ध्यान में रखते हुए, जिनसे उस समय मोमिन महिलाओं को रोका गया था, तकलीफ या बीमारी की स्थिति में इसकी अनुमति दी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हो से वर्णित है:

"समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम यन्हा आन अल-नामिसा वल-वाहशिरा वल-वासिला वल-वाहशिमा इल्ला मिन दा"।

(मुस्नद अहमद बिन हम्बल)

अर्थात, मैंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को महिलाओं को भौंहें बनवाने, दांत पतले करवाने, नकली बाल लगवाने और शरीर को गुदवाने से मना करते हुए सुना है। हां, अगर कोई बीमारी हो, तो इसकी अनुमति है।

इस्लाम ने कर्मों का आधार नीयत पर रखा है। इसलिए, इस समय में पर्दे के इस्लामी आदेश का पालन करते हुए यदि कोई महिला जायज़ तरीके और जायज़ उद्देश्य के लिए इन चीज़ों का उपयोग करती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर इन कार्यों के परिणामस्वरूप किसी बुराई की ओर झुकाव हो, किसी मूर्तिपूजक रिवाज का प्रदर्शन हो, या इस्लाम के किसी स्पष्ट आदेश की अवहेलना हो, जैसे कि महिलाएं सफाई या वैक्सिंग करवाते समय पर्दे का ध्यान न रखें और अन्य महिलाओं के सामने अपने शरीर का वह हिस्सा उजागर करें, जो छिपा होना चाहिए, तो यह कार्य हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की चेतावनी के तहत ही माना जाएगा और इसकी अनुमति नहीं होगी

इसके अतिरिक्त, यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अल्लाह तआला ने फितना और फसाद को हत्या से भी बड़ा गुनाह बताया है और इसे रोकने का आदेश दिया है। ऐसी कई मिसालें मिलती हैं कि रिश्ते इस वजह से खत्म कर दिए गए या शादी के बाद तलाक हो गया क्योंकि पति को बाद में पता चला कि पत्नी के चेहरे पर बाल थे। अगर कुछ बालों को साफ न किया जाए, तो इससे और अधिक घरों की बर्बादी हो सकती है। नापसंदगी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का उद्देश्य निश्चित रूप से यह नहीं हो सकता था कि समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जिससे घरों में फसाद फैले।

इन कड़े शब्दों का जो उद्देश्य नज़र आता है, वह यह है कि शिर्क (मूर्तिपूजा) सबसे बड़ा गुनाह है। और ये चीजें आम तौर पर देवी-देवताओं की पूजा के लिए की जाती थीं या इनके कारण अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता था। इसलिए, आपने इन कार्यों के प्रति कठोर शब्दों में अपनी नापसंदगी व्यक्त की और इस प्रकार मूर्तिपूजक रिवाजों और अश्लीलता का खात्मा किया।

(संपादक की टिप्पणी: ऊपर दिए गए उत्तर के कुछ हिस्से पहले भी अलग-अलग सवालों के जवाब में प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन यहां इसे पूरी तरह से एकत्र कर, उस उत्तर को, जो हज़रत खलीफ़ा ए वक्त, हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने इस सवाल के जवाब में दिया था, पाठकों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।)

सवाल 1: यदि ईद और जुमा एक ही दिन पर पड़ें, तो ईद की नमाज़ अदा करने के बाद जुमा या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है?

श्रीमान नाज़िम साहब दारुल कज़ा की एक रिपोर्ट के उत्तर में में हज़ूर अनवरअय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने पत्र तिथि 16 मई 2021 में निम्नलिखित हिदायतें दीं:

उत्तर: ईद और जुमा एक ही दिन पर पड़ने की स्थिति में, ईद की नमाज़ अदा करने के बाद जुमा और ज़ोहर दोनों नमाज़ों को छोड़ने का केवल हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हो का ही अमल और मत मिलता है। यह भी केवल एक अधूरी रिवायत पर आधारित है, जिसमें दो रिवायती वर्णन एक-दूसरे से अलग हैं।

जबकि विश्वसनीय रिवायतों में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सुन्नत, ख़ुलफ़ा ए राशिदीन और अन्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्होका यही अमल मिलता है कि वे ईद के बाद जुमा की नमाज़ अदा करते थे। दूर के क्षेत्रों से आए लोगों को जुमा से छुट्टी देकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की सलाह दी जाती थी। और कभी-कभी जुमा की नमाज़ अदा नहीं की गई, लेकिन ज़ोहर की नमाज़ अवश्य पढ़ी गई।

यह ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलामऔर उनके ख़ुलफ़ा का भी अमल रहा है। केवल एक बार हज़रत खलीफ़ा ए मसिह सानी रज़ियल्लाहु अन्हो ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हो की रिवायत पर अमल करते हुए ईद के बाद न जुमा और न ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी।

हालांकि, इस अधूरी रिवायत का हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम या ख़ुलफ़ा ए राशिदीन के किसी कथन या अमल पर आधार नहीं है। इसलिए, ऐसी अधूरी रिवायत के आधार पर किसी फ़र्ज़ नमाज़ को छोड़ना उचित नहीं। इसलिए, फिक्ह ए अहमदिया में यह लिखा जाए कि यदि ईद और जुमा एक ही दिन पर हों, तो ईद की नमाज़ के बाद यदि जुमा नहीं पढ़ा जाए, तो ज़ोहर की नमाज़ अपने समय पर अवश्य पढ़ी जाएगी।

प्रश्न: एक महिला ने हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ से पूछा कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक और जब सूरज उग रहा हो, उस समय कुरआन क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हज़ूर-ए-अनवर ने अपने पत्र दिनांक 16 मई 2021 में इस प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर दिया:

उत्तर: आपके पत्र में उल्लेखित समय में क़ुरआन मजीद पढ़ने से कहीं मना नहीं किया गया है। हालांकि, दिन के तीन समय में (जब सूरज उग रहा हो, जब सूरज डूब रहा हो और दोपहर में जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर हो) पैग़ंबर मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना किया है। और इस मना करने का कारण भी पैग़ंबर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने बताया है। हज़रत अम्र बिन अबसा सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है:

"मैंने कहा, हे अल्लाह के नबी! मुझे वह बातें बताइए जो अल्लाह ने आपको सिखाई हैं और जिनसे मैं अनजान हूं। मुझे नमाज़ के बारे में बताइए।" पैग़ंबर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

"सुबह की नमाज़ अदा करो, फिर नमाज़ से रुके रहो जब तक सूरज उग न जाए और ऊंचा न हो जाए। क्योंकि जब सूरज उगता है, तो यह शैतान के दो सींगों के बीच से उगता है और उस समय काफ़िर सूरज को सजदा करते हैं। फिर नमाज़ पढ़ो क्योंकि उस समय की नमाज़ गवाही वाली होती है और उस पर फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। जब तक कि साया कम होकर भाले के बराबर न हो जाए। फिर उस समय नमाज़ से रुके रहो, क्योंकि उस समय जहन्नम को भड़काया जाता है। जब साया ढलने लगे, तो नमाज़ पढ़ो क्योंकि वह समय गवाही और हाज़िरी का होता है, जब तक कि तुम अस्र की नमाज़ अदा न कर लो। फिर सूरज डूबने तक नमाज़ से रुके रहो, क्योंकि उस समय सूरज शैतान के दो सींगों के बीच डूबता है और उस समय काफ़िर सूरज को सजदा करते हैं।"

(सहीह मुस्लिम, किताब-उल-मुसाफेरीन व क़सरिहा, बाब इस्लाम अम्र बिन अबसा)

इन तीन समयों में नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है। लेकिन क़ुरआन मजीद पढ़ने की कोई मनाही नहीं है। इसलिए आप क़ुरआन मजीद जिस समय चाहें पढ़ें, इसमें कोई रोक नहीं है।

प्रश्न: एक मित्र ने हज़ूर-ए-अनवर अय्यद अल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ से शॉर्ट सेलिंग (Short Selling) के हलाल या हराम होने के बारे में मार्गदर्शन चाहा है। हज़ूर-ए-अनवर ने अपने मक्तूब दिनांक 16 मई 2021 में इस बारे में निम्नलिखित हिदायतें दीं। हज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया:

उत्तर: वास्तव में शॉर्ट सेलिंग को जल्दी पैसा कमाने का एक आसान तरीका समझा जाता है, जिसमें कुछ लोग शेयर रखने वाले ब्रोकरों से कुछ शेयर उधार लेकर उन्हें महंगे दामों में बेच देते हैं और फिर शेयर सस्ते होने पर उन्हें बाज़ार से खरीदकर ब्रोकर को वापस कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, ये लोग मुनाफ़े का एक हिस्सा कमाते हैं और एक हिस्सा ब्रोकर को कमीशन के रूप में देते हैं।

इस्लाम ने जैसे जीवन के हर क्षेत्र में इंसान को मार्गदर्शन दिया है, व्यापार में भी साफ और सीधी राह अपनाने और खरी-खरी बात करने की हिदायत दी है। यहां तक कि पैग़ंबर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने व्यापार के मामले में हिदायत दी कि यदि तुम्हारे माल में कोई कमी हो, तो उसे न छुपाओ बल्कि ग्राहक को स्पष्ट रूप से उस कमी के बारे में बताओ।

(सहीह मुस्लिम, किताब-उल-ईमान, बाब मन घश्शना फ़लैस मिन्ना)

शेष पृष्ठ 06 पर

इस्लाम और सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुख़ालिफ़ अलेक्जेंडर डोवी के शहर ज़ायन (zion) से शुरू होने वाली हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की ग़ैरमामूली अहमियत और बरकतों की हामिल ऐतिहासिक अमरीका की यात्रा सितंबर, अक्तूबर 2022 ई.

11 अक्टूबर 2022
घाना की राजदूत हाजिया आलमिया महामा साहिबा की हज़ूर-ए-अनवर से मुलाकात
नवदाक्षिण्य प्राप्त करने वाले एक समूह की अपने प्यारे इमाम से मुलाकात और विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्ति

अमेरिका में नियुक्त घाना की राजदूत की हज़ूर-ए-अनवर से मुलाकात हज़ूर-ए-अनवर, अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने सुबह सवा छह बजे "मस्जिद बैत-उर-रहमान" में नमाज-ए-फ़ज्र पढ़ाई। नमाज़ अदा करने के बाद हज़ूर-ए-अनवर अपनी रिहाइशगाह पर वापस चले गए।

अमेरिका में नियुक्त घाना की राजदूत की मुलाकात सुबह हज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने दफ्तर की डाक देखी और विभिन्न दफ्तरों के कार्यों में व्यस्त रहे। कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे हज़ूर-ए-अनवर बैठक कक्ष में आए, जहां अमेरिका में नियुक्त घाना की राजदूत हाजिया आलमिया महामा साहिबा हज़ूर-ए-अनवर से मिलने आई थीं।

इस मुलाकात में उनके साथ वित्त अधिकारी अयशेतु शानी साहिबा और काउंसलर अधिकारी अमिदु मोहम्मद करांडे साहिब भी शामिल थे।

हज़ूर-ए-अनवर ने घाना के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रवास के बारे में बताया और कहा कि जब 1970 और 80 के दशक में मेरा वहां प्रवास था, उस समय सड़कों और बुनियादी ढांचे की हालत अच्छी नहीं थी। क्या अब इसमें सुधार आया है? हज़ूर-ए-अनवर ने कहा कि अगर राजनेताओं को यह एहसास हो जाए कि उन्हें अपनी कौम और अपने लोगों की सेवा करनी है, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। हज़ूर-ए-अनवर ने राजदूत से कहा कि आप यहां अमेरिका में भी देश की बेहतरी के लिए अपना योगदान दे सकती हैं।

घाना की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति के बारे में हज़ूर-ए-अनवर ने कहा कि घाना को निवेशकों को आकर्षित करने की ज़रूरत है। घाना में क्षमता (पोटेंशियल) मौजूद है। बस इस क्षमता को उपयोग में लाने के लिए सभी रास्तों को अपनाने की ज़रूरत है।

हज़ूर-ए-अनवर ने कहा कि मुझे यकीन है कि घाना तरक़्क़ी कर सकता है और पूरे अफ्रीका में एक अग्रणी देश बन सकता है। आपको अपनी सड़कों और बुनियादी ढांचे को सुधारना चाहिए। आपका देश एक कृषि प्रधान देश है। किसानों की पैदावार को बाज़ार में लाने के लिए सड़कों और परिवहन की सुविधा की ज़रूरत है।

हज़ूर-ए-अनवर ने कहा कि मैं घाना को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं घाना से प्यार करता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि यह अफ्रीका के बेहतरीन देशों में शामिल हो।

राजदूत साहिबा ने बताया कि उनकी हज़ूर-ए-अनवर से 2008 में घाना में मुलाकात हुई थी, जब हज़ूर-ए-अनवर सौ साल की ख़िलाफ़त जुबली के लिए घाना आए थे।

हज़ूर-ए-अनवर ने घाना के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के कुछ विशेष तरीकों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आपको घाना के उत्तरी क्षेत्रों में शिया बटर (Shea Butter) की खेती करनी चाहिए। इससे आप साबुन और तेल बना सकते हैं। यह आय का एक साधन हो सकता है। अगर मैं वहां होता, तो मैं आपको दिखा सकता था कि इसे कैसे करना है। शिया बटर एक आय देने वाली फसल है।

लोग इसे पश्चिम में पसंद करते हैं। इसलिए अपनी जमीन की खेती करें और निवेशकों से कहें कि वहां शिया बटर लगाएं। पुरानी पारंपरिक फसलों को छोड़ दें। आमतौर पर आप चावल आदि उगाते हैं, जो आपके लिए लाभदायक नहीं होंगे। आपको सिर्फ मशीनरी और शिया बटर की नई किस्मों के लिए निवेश की ज़रूरत है, जो पहले से तैयार हैं।

हज़ूर-ए-अनवर से पूछे गए सवाल पर वित्त अधिकारी ने बताया कि उनका खुद का फार्म एक हज़ार एकड़ का है। इस पर हज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया कि पांच सौ एकड़ शिया बटर (Shea Butter) की खेती के लिए इस्तेमाल करो। हज़ूर-ए-अनवर ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगी, तो जब अगली बार घाना आऊंगा, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस फार्म का दौरा करूंगा।

हज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया कि घाना को पूरी दुनिया के लिए एक अग्रणी निर्यातक देश बनना चाहिए और उसे पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बजाय इसके कि आप दूसरे देशों से मदद मांगें, आपको खुद अन्य गरीब देशों की मदद करने वाला बनना चाहिए।

हज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया कि आप मेरी सलाह अपने देश के राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। उन्हें मेरी तरफ से यह संदेश दें कि मेरी ख्वाहिश है कि उनके कार्यकाल में घाना अफ्रीका का सबसे अमीर देश बन जाए। इस पर राजदूत साहिबा ने कहा कि वह चाहती हैं कि घाना हज़ूर-ए-अनवर की सलाह पर अमल करे। हज़ूर-ए-अनवर ने घाना की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो सुझाव दिया है, वह हमारे लिए एक वास्तविक सम्मान है।

मुलाकात के अंत में हज़ूर-ए-अनवर ने राजदूत साहिबा को अपने हस्ताक्षर के साथ कुरआन करीम भेंट किया। राजदूत साहिबा ने हज़ूर-ए-अनवर को घाना का पारंपरिक स्कार्फ स्मृति-चिह्न के रूप में भेंट किया और हज़ूर-ए-अनवर के साथ तस्वीर खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त किया।

इसके बाद राजदूत साहिबा ने हज़ूर-ए-अनवर से हाथ उठाकर दुआ करवाने की गुज़ारिश की, जिस पर हज़ूर-ए-अनवर ने दुआ करवाई।

परिवारों की मुलाकातें

यह मुलाकात 11 बजकर 25 मिनट पर समाप्त हुई। इसके बाद हज़ूर-ए-अनवर अपने कार्यालय में पधारे, जहां कार्यक्रम के अनुसार परिवारों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ।

आज सुबह के इस सत्र में 32 परिवारों के 151 लोगों ने अपने प्यारे आका से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त किया। हर व्यक्ति ने हज़ूर-ए-अनवर के साथ तस्वीर खिंचवाने का सम्मान पाया। हज़ूर-ए-अनवर ने कृपा करके शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पेन भेंट किए और छोटे बच्चों को चॉकलेट दी।

आज मुलाकात करने वाले यह लोग स्थानीय जमाअत Maryland के अलावा अन्य 15 जमाअतों और क्षेत्रों से आए थे, जिनमें Long Island, न्यूयॉर्क, सेंट्रल जर्सी, ब्रुकलिन, बाल्टीमोर, नॉर्थ वर्जीनिया, Lehigh Valley, Dallas, Willing Boro, York, साउथ वर्जीनिया, Cleveland, Dayton, Connecticut, और Charlotte शामिल हैं।

जमाअत के लोगों के विचार

इनमें से कुछ अहबाब और फैमिलीज़ लंबी दूरी तय करके आई थीं। क्लेवलैंड से आने वाले 362 मील, शार्लोट से आने वाले 422 मील और डेटन से आने वाले 479 मील का फासला तय करके आए थे। जबकि डलास (Dallas) से आने वाले 1342 मील का सफर तय करके अपने प्यारे आका से मिलने पहुंचे थे। आज भी मुलाकात करने वालों में से बहुत से लोग और फैमिलीज़ ऐसी थीं, जिनकी जिंदगी में हज़ूर-ए-अनवर से यह पहली मुलाकात थी।

एक दोस्त सैयद इमरान अहमद जोकि सेंट्रल जर्सी से आए थे, कहने लगे कि मेरी हज़ूर-ए-अनवर से कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी। यह मेरी जिंदगी की पहली मुलाकात थी। बस मैं तो हज़ूर-ए-अनवर के रोशन चेहरे को देखता रहा। हज़ूर ने

हमारी बच्चियों के लिए दुआ की।

एक दोस्त हिबतुल्लाह वाहला साहिब जो कि जमाअत मेरीलैंड (Maryland) से आए थे, कहने लगे कि आज की मुलाकात हमारे लिए एक अत्यंत असामान्य थी। मेरे दिल में इच्छा थी कि हज़ूर मुझसे पंजाबी में बात करें, लेकिन मैंने इसे जाहिर नहीं किया। जब मैं दफ्तर में दाखिल हुआ, तो हज़ूर ने खुद ही पंजाबी में मुझसे बात करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने कहा, "हज़ूर आपने बिना बताये मेरी इच्छा पूरी कर दी।" फिर मैंने अपने बेटे को मुलाकात से पहले मना किया था कि तुम हज़ूर के बिल्कुल पास न जाओ, बल्कि थोड़ी दूरी पर रहना। हज़ूर ने मेरे बेटे से खुद कहा, "मेरे पास आओ और फोटो खिचवाओ," और खुद उसे पास खड़ा कर लिया। जब हम बाहर जाने लगे, तो हज़ूर ने दोनों बच्चों को वापस बुलाया और कहा, "तुम दोनों पढ़ते हो तो पेन भी ले लो।" यह मुलाकात हमें पूरी जिंदगी याद रहेगी।

मुदस्सिर नजरचिमा साहिब जो कि जमाअत बाल्टीमोर से आए थे, कहने लगे कि आज हम पर अल्लाह तआला का खास फज़्ल और एहसान है कि हमें मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने आज तक पूरी जिंदगी में हज़ूर-ए-अनवर जैसा रोशन चेहरा और शफीक इंसान नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लगा कि एक तरफ से मरा हुआ शरीर अंदर गया और दूसरी तरफ से रूहानी ज़िंदगी मिल गई। यह दो-तीन मिनट मेरी सारी जिंदगी के बेहतरीन, सबसे शानदार और सबसे अच्छे लम्हे थे। उनकी पत्नी तो रोने लगीं और कहने लगीं, "हज़ूर की शख्सियत में तो इंसान खो जाता है। वह एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, मैं तो वर्णन ही नहीं कर सकती।"

एक दोस्त क़ायम नासिर साहिब जो बाल्टीमोर (Baltimore) से आए थे, कहने लगे कि मेरी तो मुलाकात अभी नहीं होनी थी। मुझे आज ही पता चला कि मेरी मुलाकात है। मैं तो पंद्रह घंटे कल पूरी रात और आज सुबह सेवा-ए-खल्क़ की ड्यूटी करता रहा। फिर थोड़ी देर के लिए सो गया था। फोन करते रहे, लेकिन मैं सोने के कारण फोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार किसी ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे मस्जिद ले आए। मैं बहुत खुशकिस्मत और भाग्यशाली हूं कि मेरी प्यारे आका से मुलाकात हो गई। यह खुदाई तक़दीर ही थी कि ढूंढने वालों ने मुझे ढूंढ लिया।

एक दोस्त नासिर अहमद साहिब जो जमाअत डेटन (Dayton) से आए थे, कहने लगे कि यह मेरी जिंदगी की पहली मुलाकात थी। मेरी पत्नी एक इंडोनेशियाई नवमुबाई है। उनकी पत्नी कहने लगीं, "हज़ूर-ए-अनवर से मुलाकात एक ख्वाब जैसा लगता है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मुझे तो मेरी कई महीनों की दुआ का फल मिला है। मैं पिछले कई महीनों से दुआ कर रही थी कि ऐ अल्लाह हमारी ख़लीफा-ए-वक्त से मुलाकात करवा दे। आज अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली।"

यह मुलाकातें 1 बजकर 10 मिनट पर खत्म हुईं। इसके बाद मक़र्रम डॉक्टर फहीम यूसुफ साहिब, नायब अमीर अमेरिका और मीर उमर अहमद साहिब ने हज़ूर-ए-अनवर से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त किया और इंसार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। यह हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मस्जिद बैत-उर-रहमान से 50 मील की दूरी पर स्थित जोपा टाउन (Joppa Towne) में बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में 2500 से लेकर 3000 वर्ग फुट के 48 घर बनाए गए हैं और लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक कम्युनिटी सेंटर भी निर्मित किया गया है। इस सेंटर में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का हाल भी बनाया गया है। हज़ूर-ए-अनवर ने 2018 में इस प्रोजेक्ट का दौरा किया था और उस समय उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे। अब उन सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम अंतिम चरणों में है। डॉक्टर फहीम क़ुरैशी साहिब ने इस मौके पर मक़र्रम खुर्म बशीर साहिब के लिए दुआ की दरख्वास्त की, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बेहतरीन सेवा की।

"मुलाकातों का यह प्रोग्राम एक बजकर बीस मिनट तक जारी रहा। इसके बाद एक बजकर चालीस मिनट पर हज़ूर अदा अल्लाह तआला ने "मस्जिद बैतुर्रहमान" में तशरीफ़ लाकर नमाज़-ए-ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ाई। नमाज़ों की अदाईगी के बाद हज़ूर अपनी रिहाइशगाह पर तशरीफ़ ले गए।

मर्दों की सामूहिक मुलाकात

प्रोग्राम के मुताबिक छे बजे हज़ूर अदा अल्लाह तआला ने मस्जिद के मर्दाना हॉल में तशरीफ़ लाकर वहां मर्दों की सामूहिक मुलाकात का प्रोग्राम रखा था।

इस मुलाकात में 225 अहबाब शामिल हुए। इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जिनकी हज़ूर से उनकी ज़िंदगी में पहली मुलाकात थी।

हज़ूर ने स्नेहपूर्वक इन अहबाब को बात करने का मौका दिया। हज़रत ने कहा जो बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, बारी-बारी से हाथ उठाकर बात करता जाए।

एक नौजवान उसमान हैदर साहब रब्वाह से आए थे। कहने लगे, "यहां तीन साल से असाइलम का मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया।" इस पर हज़ूर ने फ़रमाया, "आपको सब्र करना पड़ेगा, इंशा अल्लाह हो जाएगा। अगर काम कर रहे हैं तो फिर ठीक है। अल्लाह तआला तौफीक देगें।"

एक दोस्त इत्तिशाम उल हसन साहब रब्वाह से आए थे। जब उन्होंने अपना तआरुफ़ करवाया तो हज़ूर ने कहा कि "आपके भाई, रिश्तेदार तो जर्मनी में भी हैं, यूके में भी हैं,

आयरलैंड में भी हैं।" मोस्सफ ने कहा कि मैं रब्वाह में F.SC कर रहा था, अब यहां आ गया हूं, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। इस पर हज़ूर ने कहा, "अल्लाह तआला तौफीक दे।"

एक दोस्त श्रीलंका से आए थे। कहने लगे, "हमारे केस रिजेक्ट हो चुके थे, हज़रत की हिदायत पर जमाअत ने हमारे लिए बहुत कोशिश की। अब हम यहां बैठे हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं।" हज़ूर ने फ़रमाया, "वहां जो हालात खराब हुए थे, उससे पहले निकल आए थे।" इस पर मोस्सफ ने कहा, "हम पहले निकल आए थे।"

एक नौजवान ने कहा, "मैं 24 साल का हूं, शादी कर के आया हूं, स्कूल का डिप्लोमा ले रहा हूं, फिर आगे और पढ़ाई करनी है।" इस पर हज़ूर ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला कामयाब करे।"

एक दोस्त ने कहा, "मैं पाकिस्तान के वहाड़ी से आया हूं, आज यहां सिर्फ हज़ूर से मिलने आया हूं।" एक बुजुर्ग ने माइक पकड़ा और कहा, "मैं पीछे बैठा था, मुझे हज़रत सही तरह से नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने माइक सिर्फ इस लिए पकड़ा है कि खड़ा होकर हज़रत का दीदार कर लूं, वरना मेरा कोई सवाल या अरज़ नहीं है।"

एक दोस्त ने कहा, "मेरा बेटा ग्यारह साल से मलेशिया में है, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह तआला उसकी मुश्किलें दूर करे और हमसे मिलन के इंतजाम करे।" हज़रत ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला तौफीक दे।"

एक नौजवान ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया और आगे की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन चाहा। हज़ूर ने फ़रमाया, "मेडिसिन करो और दुनिया के काम आओ।"

एक दोस्त ने कहा, "मैं श्रीलंका से आया हूं, यहां काम भी कर रहा हूं।" हज़ूर ने उसे हिदायत दी कि "शादी करवाओ।"

एक दोस्त ने बताया, "श्रीलंका में आठ साल रहकर आया हूं, हालात बहुत खराब रहे हैं, बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं।" इस पर हज़रत ने फ़रमाया, "जब इस तरह सफर पर निकलते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं। अब आप यहां पहुंच गए हैं, हमेशा अपने दीन को प्रथम करने का इरादा करो। अल्लाह तआला तौफीक देगा।"

एक नौजवान ने कहा, "मैं श्रीलंका से आया हूं।" हज़ूर ने उसे सलाह दी कि "शादी करवाओ और हमेशा अल्लाह को याद रखो।"

एक साहब ने कहा, "मैं बर्मा से आया हूं, यहां रिफ़्यूजी केस किया है, वहां पर लेक्चरर था, अब यहां पीएचडी कर रहा हूं।" हज़रत के सवाल पर बताया कि "बीवी बच्चे मेरे साथ हैं।" हज़रत ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला तौफीक दे।"

एक दोस्त ने हज़ूर से अपनी यहां के ठहरने के बारे में बात की तो हज़रत ने कहा, "अब आप यहां रहना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं?" उन्होंने कहा, "पैर जमा लो, नौकरी की ऑफर हुई है तो उसे स्वीकार कर लो और यहां रहो।"

एक बुजुर्ग ने कहा, "मैं पाकिस्तान से आया हूं, मेरी नज़र गिरती जा रही है, मेरा दायां घुटना खराब है, काम नहीं करता।" इस पर हज़रत ने पूछा, "आपकी उम्र क्या है?" उन्होंने कहा, "92 साल है।" हज़रत ने फ़रमाया, "फिर अब तो घुटने खराब ही होने हैं।"

अहबाब जमाअत के तअसरात

मुलाकात करने वाले ये अहबाब मेरीलैंड की स्थानीय जमाअत के अलावा विभिन्न 27 जमाअतों और इलाकों से आए थे, जिनमें से कुछ बड़े लंबा सफर तय करके आए थे।

मियामी से आने वाले 1056 मील, लॉस एंजेल्स से आने वाले 2670 मील और सिलिकॉन वैली से आने वाले 2845 मील का सफर तय करके अपने प्यारे आका से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। मुलाकात के बाद एक दोस्त अतहर अहमद नवीद साहब जो नॉर्थ वर्जीनिया से आए थे, कहने लगे, "अब मुझे और क्या चाहिए, अल्लाह तआला ने मुझे मुलाकात की सआदत अता की है, मैं अल्लाह से इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता।"

एक दोस्त फरहान साहब ने बताया, "जैसे ही हज़रत आए और बैठ गए, दिल

शेष पृष्ठ 6 पर

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor +91-9915379255
e -mail badarqadian@gmail.com
www.akhbarbadr.in

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553
Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
POSTAL REG. No.GDP 45/ 2023-2025 Vol. 09 Thursday 05 December 2024 Issue No. 49

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile +91-9915379255
e -mail managerbadrqnd@gmail.com
www.alislam.org/badr

सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान की वैकेंसी दर्जा दोम के लिए शर्तें

(1) अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम न हो। (2) अभ्यर्थी की शिक्षा कम से कम 10+2 45% फ़ीसद नंबरात के साथ होनी चाहिए। (3)अभ्यर्थी उर्दू/अंग्रेज़ी कम्पोज़िंग जानता हो और तेज़ी 25 शब्द प्रति मिनट हो। (4) इस ऐलान के बाद 2 माह के अंदर जो निवेदन प्राप्त होंगें उन्हीं पर ग़ौर होगा। (5) निसाब परीक्षा कमीशन बराए कारकुनान दर्जा दोम निम्नलिखित है। परीक्षा के प्रत्येक भाग में सफल होना अनिवार्य है।

प्रथम भाग

★ क़ुरआन-ए-करीम नाज़रा मुकम्मल। पहला पारः अनुवाद सहित चालीस जवाहर पारे, अरकान-ए-इस्लाम, पूर्ण नमाज़ अनुवाद सहित। (30 अंक)

द्वितीय भाग

★ कशती-ए-नूह, बरकतुेंद-दुआ, दीनी मालूमात
जमाअत अहमदिया के अकायद के विषय में मजमून, दुर्रे समीन से नज़म (शान-ए-इस्लाम) (20 अंक)

तृतीय भाग

★ अंग्रेज़ी भाषा इंटरमीडीयेट के मयार के अनुसार (10+2) (20 अंक)

चतुर्थ भाग

★ हिसाब मैट्रिक के मयार के अनुसार
(दफ़्तरी इमपरस्ट से संबधित प्रश्न) (20 अंक)

पंचम भाग

★ साधारण ज्ञान (G.K) - (10 अंक)

(6) लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थीयों का ही इंटरव्यू होगा। (7) लिखित परीक्षा, कम्पयूटर टैस्ट और इंटरव्यू में सफलता की सूरत में अभ्यर्थी को नूर हस्पताल क़ादियान से चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा और केवल वही अभ्यर्थी ख़िदमत के योग्य होंगे जो नूर हस्पताल की तिब्बी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सेहत मंद और तंदरुस्त होंगे। (8) स्लैक्शन की सूरत में अभ्यर्थी को क़ादियान में अपने रहने का इंतेज़ाम स्वयं करना होगा। बाद में रहने के संबंध में किसी निवेदन पर कोई कारवाई नहीं होगी। (9) सफ़र ख़र्च क़ादियान आना जाना अभ्यर्थी के अपने ज़िम्मा होंगा।

(नोट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की तिथि से अभ्यर्थी को बाद में अवगत किया जाएगा।)

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
नज़रात दीवान सदर अंजुमन अहमदिया कादियान, पिन कोड 143516
मोबाइल 09888232530, 09682627592
दफ़्तर 01872-501130
ई-मेल diwan@qadian.in

★ ★ ★

QUALIFICATION FOR NURSE/ OTA MALE NURSE

1.Candidate must have completed at least OTA/B.Sc. Nursing/GNM course after 2+10 (With subjects Physics, Chemistry and Biology).

2.He/She must have registered with Punjab Nurses Registration Council. (In case of non-registration, attach affidavit of transfer registration within six months).

3. He/She must have ability to read medical instructions.

4. Minimum 02 years' experience in a reputed hospital is needed.

5. The age of the candidate should not be more than 30 years. An exception may be considered according to the circumstances.

6. Grade: 17372-318-14828-271-11576-223-9792

7. Candidate must be healthy, good in religious and moral condition, polite. He/ She must have a caring attitude towards patients and co-workers.

QUALIFICATION FOR PHARMACIST

1. Candidates must have completed at least B. Pharmacy/ D. Pharmacy from a registered government institution after 2+10 (With subjects Physics, Chemistry and Biology).

2. He/She must have registered with Pharmacy Council of Punjab. (In case of non-registration, attach affidavit of transfer registration within six months).

3. He/She must have ability to read medical instructions.

4. Minimum 02 years' experience in a reputed hospital is needed.

5. The age of the candidate should not be more than 30 years. An exception may be considered according to the circumstances.

6. Grade: 22843-506-18795-443-13479-302-11063

7. Candidate must be healthy, good in religious and moral condition, polite. He/She must have a caring attitude towards patients and co-workers.

ESSENTIAL INSTRUCTIONS:

1.Applications received within 2 months after the last announcement published in The Weekly Badr will be considered.

2. Interested candidates should send their applications on the printed form with the attested signature and seal of their Zilla Amir/ Local Amir/ Sadr Jama'at/ Mubaligh In-Charge.

3. In case of success in the interview, the candidate will have to undergo a medical examination from Noor Hospital Qadian and only those candidates will be eligible for service that are fit and healthy as per the report of Noor Hospital Medical Board.

4. In case of selection, the candidate will have to arrange his own accommodation in Qadian.

5.All travel and medical expenses will be borne by the candidate.

6. At the time of interview it is necessary for candidates to bring their original educational certificates with them.

Note: The date of interview will be intimated to the candidates later.

★ ★ ★

Printed & Published by Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor Shaikh Mujahid Ahmad